भारतीय प्रवासी परिषद्

BHARATIYA PRAVASI PARISHAD
(Registration Act New Delhi/DL-DLH)
Regd.No.IN-96333722113577M
IN-DL42460084637842P
Reg No.1,046 Book No.4 Page156 To 168

संविधान
CONSTITUTION

वासी	**–**	**PARMANENT RESIDENT**
प्रवासी(परप्रांतीय)	**–**	**MIGRATE**
अप्रवासी	**-**	**NRI**
भारतवासी	**-**	**INDIAN**

परिषद का संदेश

"जात पात का भेदभाव इंकार है,
प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है।"
"हम सब भारतवासी हैं हमें भारत से प्यार है |
वासी-प्रवासी-अप्रवासी की एकता यही हमारा विचार है"।।

REGISTERED &CENTRAL OFFICE-1) B-38, Defence Colony, New Delhi-110034
2) H.No.2960, Street No.70E-2, Molar Band Extension Badarpur, New Delhi-110044
Corres.-407, DLF Centre point, Mathura Road, near Bata Flyover, Faridabad-121006
Phone: 0129-4171870, 9810031870, 9310031870
E-mail:bharatiyapravasiparishad@gmail.com
Website: www.bpponline.in

BHARATIYA PRAVASI PARISHAD

अतिथि देव भवः ◆ **Atithi Dev Bhav**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION ACT IMPACC (V) NEW DELHI/DL-DLH

No.IN-96333722113577M
IN-DL42460084637842P

I hereby certify that **BHARATIYA PRAVASI PARISHAD**

Has this day been registered under the Charitble Trust Registration Act IMPACC (V) (Delhi Amendment) as extended to the union Territory of Delhi.

Given under my hand at **NEWDELHI**

This 2ND (TUESDAY) day of SEPTEMBER 2014

24th(TUESDAY) day of OCTOBER 2017

Sd/-

REGISTRAR OF TRUST NEW DELHI

Seals
Registrar/Sub Registar V
Delhi

DR.AJAY TIWARI
TRUSTEE

भारतीय प्रवासी परिषद्

गीत

छोड़ो कल की बातें कल की बात है बासी

हम भारतवासी – भारतीय प्रवासी ||

जात-पात के भेद-भाव को ख़त्म करेंगे.....2 |

प्रांतवाद के भेदभाव में नहीं पड़ेंगे.....2 |

नए दोस्त है नए लोग है ,हम है भारतवासी,

हम भारतवासी –भारतीय प्रवासी||

छोड़ो कल की.....

वासी मेरा रक्षक और संरक्षक होगा|.....2

प्रवासी की मेहनत से हर राज्य बढेगा.....2 |

देश हमारा अखंड होग ,कहते वासी -प्रवासी,

हम भारत वासी-भारतीय प्रवासी||

छोड़ो कल की.....2

भाई बहन और मात-पिता में न चिंता होगी.....2

राज्य व्र केंद्र सरकार की सोचरहेगी.....2

धर्मनिरपेक्ष है देश हमारा कहते भारतवासी,

हम भारतवासी- भारतीय प्रवासी

छोड़ो कल की.....2

डॉ अजय तिवारी

(राष्टीय अध्यक्ष

भारतीय नागरिक विचार / MAKE IN TEAM INDIA

स्थानीय वासी एवं प्रवासी(परप्रांतीय)/अप्रवासी की एकता ही भारत देश के विकास में सहयोग करेगी

भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) व्यक्तियों के भविष्य एवं सम्मान एवं सुरक्षा ,तथा वासी एवं प्रवासी एकता की चिंता करते हुए जातिवाद और प्रांतवाद से ऊपर उठकर हर प्रवासी चाहे वो किसी भी प्रान्त (राज्य) का क्यों न हो उनके अधिकार एवं भारत देश की परम्परा, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता एवं सद्भावना, अखंडता को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रवासी परिषद का निर्माण किया गया है | जिससे भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) को शिक्षा एवं रोजगार व्यापार ,मजदूरी करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े व प्रवासियों परप्रांतीयो) द्वारा देश राज्य के विकास के लिए किये जाने वाले कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो और अराजकतत्वों के अत्याचार ,भ्रष्टाचार से उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है और यदि वह एक राज्य को छोड़कर अन्य किसी राज्य / देश में जाता है और वहां रहता है तो वह भारतीय प्रवासी (परप्रांतीय) / अप्रवासी व्यक्ति ही हुआ क्योकि हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए डोमिसाइल (मुलनिवास प्रमाण पत्र) / मैग्रेसन (प्रवासी प्रमाणपत्र) बनवाने का प्रावधान है | भारतीय इतिहास में भारत के प्रत्येक कॉलेज में यदि रैगिंग होती है तो प्रवासी(परप्रांतीय) विधार्थियो के साथ ज्यादा एवं आत्महत्या भी प्रवासी विद्यार्थी ही ज्यादा करते है क्यों ? और प्रवासी(परप्रांतीय) विद्यार्थियों / मजदूरों के साथ शासन व प्रशासन भी भेद-भाव करता है क्यों ? भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवासियों (परप्रांतीयो) की गणना प्रवासी सूचना केंद्र / प्रवासी सहायता केंद्र बनाकर करना अतिआवश्यक है | क्योंकि राज्य सरकार बनाने में प्रवासियों (परप्रांतीयो)की अहम भूमिका होती है | इस प्रवासी सूचना केंद्र / प्रवासी सहायता केंद्र की गणना से देश द्रोहियों, आतंकियों एवं घुस पैठियों की पहचान आसानी से की जा सकती है | लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के परिवेश में जब भारतीय प्रवासियों (परप्रांतीयो) को दुसरे राज्य का कहा जाता है तथा हिंदी भाषा को हेय दृष्टि से देखा जाता है तो हमें दुःख होता है। जबकि हमें हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले भारतीय नागरिक, भारतवासी है | क्योंकि ये तो वही हुआ जैसे अंग्रेजो (विदेशियों) की नीति थी, फुटडालों और राज करो | हमारे देश में आज भी वही नीति चल रही है अंतर सिर्फ व्यक्तियों का है हमे इस नीति को बदलना होगा और भारत के संविधान को प्रत्येक जाती धर्म व राज्य के लिए एक समान करना होगा , हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है यंहा हर धर्म, जाति व भाषा के लोग रहते हैं हमें इन सबका सम्मान करना होगा और भारत-देश की एकता, अखंडता पर बल देना होगा | आज हमें कहना पड़ता है की हां हम भारत के नागरिक भारत में ही कंही न कंही भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) हैं। लेकिन भारत देश की वासी प्रवासी(परप्रांतीय) की एकता “मेक इन टीम इंडिया” बहुत जरुरी है| जैसे ”जात पात का भेदभाव इंकार है, प्रांतवाद भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं हमें भारत से प्यार है, वासी प्रवासी (परप्रांतीय) की एकता यही हमारा विचार है” ।भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य में राज्य भारत सरकार से समान अधिकार मिलना चाहिए और प्रत्येक प्रवासी(परप्रांतीय) को प्रत्येक राज्य में दूध में चीनी की तरह रहकर उस राज्य देश के विकास के लिए काम करना चाहिए | यह भावना पडोसी राज्य लगभग निभाते भी है | लेकिन भेदभाव बरकरार रहता है भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) परिषद दुनिया के लगभग 26 देशो (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, (यू. ए. इ.), क़तर, सिंगापूर, हांगकांग, मलेशिया, अजर वेजान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी) में कैदियों की तरह विपरीत हालातो में काम करने वाले भारतीय अप्रवासी श्रमिको की आवाज़ बनकर भारत देश के विदेशी / प्रवासी(परप्रांतीय) मंत्रालय से सहयोग कराने का कार्य करेगा | दरअसल विदेशो में काम करने वाले भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) मजदूरों का मसला बड़ा गंभीर व् जटिल है | सभी को ज्ञात है की खाड़ी देशो में अप्रवासी मजदूरों के हालात क्या थे और उन्हें अच्छी नौकरी का सपना दिखा कर अरब देशो में भेजा तो जाता है लेकिन न्यूनतम मजदूरी, मेडिकल एवं बीमा जैसी सुविधाए भी नही मिलती हैं | आज भारत देश विश्व की आर्थिक शक्ति बन चुका है |

THOUGHT OF INDIAN CITIZEN /MAKE IN TEAM INDIA

(The unity of local resident and migrated will help in the progress of India)

The Migrate Council of India has been made keeping the view in their mind for the future, respect, security, and the unity of migrated and citizen of India beyond castism and statehood for the every migrated to make the rights and the tradition of India, heritage, religion, integrity strong so that Indian migrated would not face any problem related to education, employment, trade, labour and there would not be any interruption in the growth of nation/state by the migrated and they could be saved from the maltreatment and corruption because the person who has took birth in Indian India citizen, if he goes to other state from one state and lives there then he would be treated as the migrated of that state because in our country there is a provision to make a migrated or migration for the another state. In India, Why the ragging has done in any college only with the migrated students and why they commit suicide and even the Administration/Government discriminate the migrated students/labour, why? The information counter/ prvasi helpdesk for the Indian migrated counsel is must in every state for the proper counting of the migrated s because the migrated have the important role for the formation of central government. From the counting of this migrated information counter we can easily find out the terrorist, infiltrator. But we cannot deny that this is very sad when any Indian migrated be called the citizen of other state and a Hindi speaker would be termed as inferior, however we have to give importance to the Hindi language because Hindi language is a our nation language every citizen of Indian first of all Indian citizen/Indian migrated . This is a policy of foreigners divide and rule. This policy is running today in our country the differences between the people we should change this policy and the Constitute of India should be equal of every community religion and state. Our country is categorical in religion there lives people of every religion casts and language we should respect all the people. And you should emphasis on the unity of India today we are bound to say yes we are citizen of India but there are Indian migrated but it is necessary to the unity of resident of India and Non- resident of India "make in India team India" we refused to catesium and religion we are Indian we love India the unity of resident and non–resident is our thought. Every person of India should meet equal rights in every state and Indian Government every migrated should for the development of country by living just like sugar in the milk. The neighbour state has full fill feeling. Indian migrated council will work with in the voice of Indian migrated labour which are the prisoners in the twenty six country of world with the corporation of ministry of migrated in fact the matter the Indian migrated labour working in foreign is very serious and complicated everybody knows that the condition of the migrated Arabian country in the way of country and they were sent to labour country by showing them the dream of good job but the nominal wages medical and insurance facilities were not provided to them. Today India has become the power of economically power of the world.

ऐसे में भारत देश को भारतीय नागरिको, प्रवासी(परप्रांतीय) / अप्रवासी मजदूरों के साथ होने वाले ख़राब व्यवहार को रोकना होगा क्योंकि विदेशो में प्रवासियों(परप्रांतीयो) के प्रति श्रम कानूनों के प्रति घोर अनदेखी की जा रही है | प्रवासी(परप्रांतीय) / अप्रवासी चाहे देश के अन्य राज्य में हो या विदेशो में हो, देश की अखंडता के लिए हमें उनके भविष्य की चिंता करनी होगी | साथ-साथ भारत देश के गरीब नागरिक, गरीब किसानो, गरीब मजदूरों के उत्थान के लिए विकासशील योजना लागु करनी होगी | हम भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) को 3 श्रेणियों में बाँट कर देखे तो नंबर एक :- सरकारी कर्मचारी, आई.ऐ.एस., पी.सी.एस एवं उच्च अधिकारी नंबर दो :- राज्यों द्वारा निमंत्रित व्यवसायिक, व्यापारी इन सभी को प्रवासी (परप्रांतीय) होने का एहसास शायद नही होता है लेकिन उन प्रवासियों(परप्रांतीयो) का क्या होगा जो शिक्षा ग्रहण करने, दाई का काम करने, नर्स/वार्ड बॉय का काम, मजदूरी का काम, ठेला चलाना एवं रेहड़ी लगाने का काम, ऑटोरिक्शा एवं रिक्शा चलाने का काम या गरीबी रेखा के अन्दर जीने पर मजबूर है उनका दर्द व उन पर हो रहे अत्याचार को कौन सुनेगा ? उनके उत्थान के लिए कौन सोचेगा ?आज हमारे देशको आज़ाद हुए लगभग कई वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों को हीन भाव से देखा जाता है चाहे वो भारत देश के किसी राज्य व अन्य देश में रहते हो । प्रत्येक भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जिसको बयांन हीं किया जा सकता। हम उन गन्दी विचार धारा के लोगों का नाम इसलेख में नहीं देना चाहते हैं । जो प्रवासियों(परप्रांतीयो) को हमारे ही देश में पराये राज्य का कहकर गालियां देते हैं, मारते हैं और भाग जाने को कहते हैं। जबकि प्रत्येक राज्य का व्यक्ति किसी न किसी राज्य का वासी और किसी राज्य में प्रवासी (परप्रांतीय) है लेकिन सबसे पहले भारतवासी है |सोचिये यदि अपने ही देश में ये हाल है तो भारत देश से बाहर रहने वाले भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) की हम क्या मदद करेंगे। इसमें राज्य व केंद्र सरकार के प्रशासन की कमजोरी साफ़ साफ़ दिखती है ,जबकि भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) व्यक्ति एकपंछी की तरह अपने हुनर व काबिलियत से राज्य भारत देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं तथा राज्यों व भारत सरकार द्वारा बनाये हर नियम का पालन करते हैं। फिर भी भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों को प्रत्येक राज्य / विदेशो में हीन दृष्टि से देखा जाता है। और जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए वो न हीं मिल पाता है। आखिर प्रवासी(परप्रांतीय) कब तक अपने ही देश में पराया रहेंगे |और नकारात्मक सोच वाले लोगों का शिकार बनते रहेंगे। भारत देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य में अच्छी शिक्षा ,व्यापार,नौकरी की व्यवस्था करनी होगी जिससे उस राज्य का व्यक्ति पलायन न करे तथा जो (परप्रांतीय) उस राज्य में रह रहे है उनके लिए प्रवासी (परप्रांतीय) सुचना केन्द्द खोलकर उनकी सुरक्षा, सम्मान व् समान अधिकार की व्यवस्था करना चाहिए | भारतीय प्रवासी परिषद भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहती है की देश / विदेश में रह रहे प्रवासियों(परप्रांतीयो) /अप्रवासियो के अधिकार तथा देश की अखंडता, परम्परा, एकता और संस्कृति, सद्भावनाके लिए संघर्षरत रहेगी तथा उनके सम्मान, सुरक्षा व् स्वाभिमान के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्तन हीं करेगी और जब-जब भारतदेश के विकास के लिए कार्य करने वाले राजनितिक व्यक्ति आएंगे भारतीय प्रवासी परिषद उनके साथ कंधे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में सहयोग करेगी। और भारत देश को स्वस्थ्य, स्वच्छ और विकासशील बनाने के लिए संघर्षरत रहेगी।“ हरवासी /प्रवासी(परप्रांतीय) /अप्रवासी का सपना सुरक्षित और स्वच्छ भारत हो अपना ”।भारत के प्रत्येक चुनाव में राजनैतिक व सामजिक व्यक्तियों ने अपने व्यक्तव में प्रवासियों (परप्रांतीयो) /अप्रवासियो का वोट लेने के लिए अनुमानित प्रवासियों(परप्रांतीयो) की गणना/ संख्या भी कई बार बताई है| भारत के प्रत्येक राज्य व् विदेशो में लगभग 15 लाख से 160 लाख भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) पंछी की तरह रहते हैं जो देश व प्रदेश(राज्य) के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और समय-समय पर देश के विकास में किये गए कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी करना चाहिए। भारत के प्रत्येक राज्य के व्यक्ति प्रवासियों (परप्रांतीयो) के लिए संरक्षक होता है और प्रवासी (परप्रांतीय) उस राज्य/ देश का सेवक, अतिथि होता है, यह भावना दोनों के लिए जरुरी है | आज देश प्रदेश के समाचार पत्र, टेलीविज़न, सरकार और राजनितिक पार्टियां भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / अप्रवासियों की चिंताकर रही हैं। तथा अतिथि देवो भव: के नारे को मजबूत कर रही है। क्योंकि देश / प्रदेश / विदेश में भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों का देश-प्रदेश के विकास व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है |हम सभी इस सच्चाई को भली-भांति जानते हैं, फिर भी देश / प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो भारत देश की परम्परा, संस्कृति को भूल जाते हैं और शर्मसार करने वाली हरकतें करते रहते हैं |

in this situation India should stop the misbehaviour doing with the Indian citizenand migrated/NRIlabourbecause the labour law toward the migrated in foreign are interacting. Migrated/ NRI whoever is in the other state of country or in foreign we should be worked for the integrity of the country we should plant for the progress of the poor citizen, farmer the poor labour. We Indian should divide the Indian migrated in three category we will see on the first number is government employee, IAS, PCS and Higher official the professional the business who will never know about the migrated but what about the migrated who are helpless to live under the limit of weaker section or they are doing to work of midwifery nurses, ward body, labour work to pull hawker, Riksha and Auto Rikha who will listen the pain and torcher which are committing on them?Today the Indian migrated are going with the crises of inferiority if he lives in any state of India of any other country. Even after the passing of many years of our freedom we do not want to express the names of these people in this Article who abuse the migrated in our country by saying them stranger in our country and beat them and said them to elope whereas every person who is the migrated of any state and he is migrated of the other state but first of all he is India citizen just think about it this is the condition of our country how we will help the Indian migrated person who residing out of India the resident of any state migrated of the any one state and migrated ? It is crystal clear the weakness of administration of the state and central government, whereas the Indian migrated plays a vital role in the growth of Indian economy with their capabilities and skill and they also follow the rules made by central and state government even after in every state and foreign countries treated the Indian migrated with inferiority, and they could not get their rights for which they are entitled to get. For how long time the migrated will stay in their own country like a stranger.They will be treated in negative feeling.The chief of Minister of every state of the country will have to make good education,business,job arrangement in his state,so that the person of the state should not flee and the migrants in other state and who live in that state,Equal rights should be arranged by office of **Pravasi shuraksha kendra** in his state.The Indian migrated council make the Indian migrated to be sure that those migrated who are living either in India or outside India will definitely get their rights, integrity, heritage culture, unity, and will not allow any kind of interference related to their respect and security and whenever any politic people will come forward for the growth of the country and the Indian migrated council will come and support them and will also contribute in health and growth of nation **"HAR VASI/PRAVASI/APRAVASI KA SAPNA, SURAKSHIT AUR SAWACH BHARAT HO APNA"**The politician and social people often mentioned the number of the migrated in their voting list. In every state of India and even in foreign countries there are approximately **15 LacsTO 160Lacs**Indian migrated are living who plays an important role in the growth of state and country. We should respect them and give awards to them for their contribution in the growth of nation the every citizen of India has been a safe guard for every migrated and the migrated is the guest of the nation/ state, this spirit must be there in both today. Every Newspaper, Television, government and politic parties are worried for Indian PRAVASIYO/APRAVASIYO and building the slogans of " AtitiDevoBhawa" because the Indian migrated and non- migrated have the important contribution in the growth of the nation and its economy we all are aware with this reality. But the anti-social elements of the nation who forgets the tradition and heritage and do the shameful act therefore the Indian migrated council has made the council for the respect, security and unity for the migrated and the NRI even they lives outside of India.

इसीलिए भारतीय प्रवासी परिषद ने प्रवासियों (परप्रांतीयो) /आप्रवासियों चाहे वो भारत देश से बाहर रहते हों या देश में किसी भी राज्य में रहते हों उनके सम्मान सुक्षाव स्वाभिमान की रक्षा एवं एकता तथा गरीब मजदूर, गरीब विद्यार्थी, बुजुर्ग व्यक्ति केउत्थान के लिए भारतीय प्रवासी परिषद का निर्माण किया है। जिसमे भारत देश के विभिन्न गणमान्य महोदय संरक्षक हैं और वासी-प्रवासी (परप्रांतीय) - अप्रवासी की एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों /स्थानीय वासियो के सहयोग से भारत के प्रत्येक राज्य में संगठन बनाकर वासी एवं प्रवासी (परप्रांतीय) / अप्रवासी एकता का परिचय देते हुए भारत सरकार से अपनी उचित मांग को पूरा करवाने का कार्य करना चाहती है जिससे जात -पात और प्रान्त वाद का भेदवाव ख़त्म हो सके और इस तरह वासी एवं प्रवासी (परप्रांतीय) भारतीयो के पारस्परिक सहयोग के जरिये विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य भी करती रहेगी तथा सांस्कृतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक व दानशीलता तथा अन्य परस्पर सहयोग के द्वारा वासी व प्रवासी(परप्रांतीय) भारतीयो आगामीआ ने वाली पीढ़ियों को पिछली पीढ़ियों से जुड़वाने का कार्य भी करती रहेगी । इसीलिए भारतीय प्रवासी परिषद स्वत्: आपसे जुड़ना चाहती है, यदि आपको उपरोक्त बाते सत्य लगती है तो सदस्यव् पदाधिकारी बनने के लिए हमारी वेबसाइट bpponline.in व् एप्प (BPP-APP) (Only for Andriod User) जरूर देखें और सदस्यव् पदाधिकारी बनें तथा वासी व प्रवासी(परप्रांतीय) / अप्रवासी एकता व् देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए आग्रह करती है । “जय हिन्द, जय भारत “ भारतीय एकता जिंदाबाद "

डॉ अजय तिवारी
(राष्ट्रीयअध्यक्ष)

सविंधान

भाग - 1

1.	संस्था का नाम	:- भारतीय प्रवासी परिषद
2.	पंजीकृत कार्यालय	:- 1) बी-38 डिफेन्स कॉलोनी ,नयी दिल्ली-110024 2) मकान नं-2960,स्ट्रीट नं .70E-2 मोर्लबंद,एक्सटेंशन बदरपुर न्यू दिल्ली-110044
3.	पत्राचार कार्यालय	:- 407, डी.एल.एफ.सेंटर पॉइंट,सेक्टर-11, मथुरा रोड फरीदाबाद-121006 Ph. & Fax No.0129-4171870
4.	पैननंबर	:- AACTB4516C
5.	लोगोसर्टिफिकेटनंबर	:- IN-DL 29846475229618M
6.	बैंकखाता नंबर	:- HDFC BANK LTD -A/C No.50200011682511 IFSC Code HDFC0000619 ICICI BANK LTD - A/C No. : 661305600238 IFSC Code : ICIC0006613
7.	E-Mail ID	:- Bharatiyapravasiparishad@gmail.com
8.	Website	:- Bpponline.in
9.	App	:- bpp (through Play Store Please Download only for Andriod User)

भाग - 2

भारतीय प्रवासी परिषद के उद्देश्य/ कार्य

1) भारत के प्रत्येक राज्य के गरीब बच्चों व मजदूरों व बुजुर्गो / विकलांगो के लिए उचित शिक्षा व आश्रम की व्यवस्था | स्कूल/अस्पताल एवं उचित दवाइयों / किताबो का प्रबंध करना, प्रशिक्षण कराना व् उनके उत्थान के लिए राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना ।
2) भारत के प्रत्येक राज्य में गौशाला का निर्माण व गौरक्षा के लिए राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना |

In the council there are many respected safe guard are included and they wants to full fill their demand of the unity and brotherhood between the citizen, migrated and the permanent Indian resident through the connectivity efforts in every state of India and working for the main source of growth with the hortatory support of the Indian citizen and Indian migrated and working for the connection of the upcoming generation with the last generation through cultural, traditional economical social and other means. That's way Indian migrated/NRIcouncil itself wants to connect with you, if you things the above said true andcorrectthen go through with ourwebsite bpponline.in and application to become a member/officer and you are requested to strong the integrity. "JAI HIND, JAI BHARAT" BHARTIYA EKTA JINDABAD"

Dr. Ajay Tiwari
(National President)

Constitution
Part–1

1. Name of the organization:- **BHARATIYA PRAVASI PARISHAD**

2. Registered office :- 1)B-38, Defence Colony, New Delhi-110034
2)H.No.2960,Street No.70E-2,MolarBand Extension Badarpur, New Delhi-110044

3. . Corporate office :- 407, DLF, centre Point Sector –11 Mathura Road, Faridabad 121006 Phone and Fax No 0129-4171870

4. PAN No. **:-** AACTB4516C

5. Logo Certificate No **:-** IN-Dl29846475229618M

6. Bank Account No. **:-** HDFC Bank Ltd
A/c No. 50200011682511
IFSC Code: HDFC4000619
ICICI Bank Ltd.
A/c No. 661305600238IFSC
IFSC Code: ICIC0006613

7. Mail ID **:-** bharatiyapravasiparishad@gmail.com

8. Website **:-** bpponline.in

9. App **:-** **bpp (through Play Store Please Download only for Andriod User)**

PART-2

AIMS/WORKS OF INDIAN MIGRATION COUNCIL

1- Arrangement of the proper Education/Hospitals for the poor Children/Labour/Senior Citizen/Physically Challenged in the every state of India, arrangement of the School/Hospital and Medicine, and fight for the uplifement and support for the same with the central and State Government.

2- Formation of Cow Ranch in every state of India and fight for cow guard with the central and the state government.

3) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक धर्म को महत्व देना, धार्मिक स्थल बनाना व उनके धार्मिक स्थलों के निर्माण में राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना।
4) भारत के प्रत्येक राज्य में भ्रूण हत्या का विरोध करना एवं बेटी बचाओ/ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना व महिलाओं / छात्राओं के लिए उचित स्थान पर सुलभ शौचालय का निर्माण करना व् राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना।
5) भारत के प्रत्येक राज्य में समय समय पर प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना व् राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना।
6) भारत के प्रत्येक राज्य में सड़क दुर्घटना के रोकथाम के लिए समय समय पर सुरक्षा अभियान चलाना एवं यातायात के नियमो के प्रति सचेत करना तथा राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना।
7) भारत के प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) व स्थानीयवासी लोगों में एकता व भाईचारे को बनाये रखने के लिए सभा का आयोजन करना।उनके उत्थान के लिए राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग के लिएसंघर्षकरना।
8) भारत के प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रवासी परिषद के संगठन / एकता /भाईचारे को मजबूत करने के लिए सही पदाधिकारियों का चुनाव करना व समय समय पर सदस्यता अभियान चलना |
9) भारत के प्रत्येक राज्य में उचित सामाजिक कार्य और देश/ प्रदेश के विकास के लिए संघर्ष करने वाली राजनितिक पार्टीया संस्था का सहयोग करना व भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / अप्रवासियो के अधिकार और सम्मान व् स्वाभिमान व् उत्थान के लिए संघर्ष करना |
10) भारतीय प्रवासियों (परप्रांतीयो) / अप्रवासियो जो भारत देश व् विदेशो में रह रहे है उनकी सुरक्षा, सुविधाव् सम्मान के लिए निरंतर केंद्र सरकार से प्रवासी(परप्रांतीय) /विदेश मंत्रालय द्वारा सहयोग के लिए संघर्ष करना |
11) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवासी(परप्रांतीय)वेलफेयर एंड प्रोटेक्टशन बिल के लिए केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना ।
12) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवासी (परप्रांतीय) व्यापारियों / कर्मचारियों को संरक्षण एवं सुरक्षा दिलाना तथा उनके उत्थान के लिए राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना |
13) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवासी (परप्रांतीय) समाचार, प्रवासी (परप्रांतीय) खबर, प्रवासी (परप्रांतीय) जागरण, प्रवासी(परप्रांतीय) कल्याण, समाचार पत्र एवं पत्रिका का वितरण करना और टीवी चैनल्स, पोर्टल्स चलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना |
14) भारत के प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रवासी परिषद द्धारा खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर नावमेधावी व्यक्तियों को पुरस्कार वितरण करना |
15) भारत के प्रत्येक राज्य में पर्यावरण एवं वन्य जीवन, पौधारोपण अभियान चलाना |और राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना|
16) भारत के प्रत्येक राज्य में स्वास्थ के लिए समय समय पर जागरूक करना एवं अभियान चलाना एवं दवा वितरण करना |
17) भारत के प्रत्येक राज्य की नदियों की सफाई और रख रखाव के लिए अभियान चलाना और राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना |
18)भारत के प्रत्येक राज्य में नशा मुक्ति का अभियान चलाना और राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग के लिए संघर्ष करना

3- To give importance to the every religion and fight to build forthe Pilgrimage /place of worship.

4- To protest against the female feticide and to drive "BetiBachaoBetiPadao" Andolan and fight with the central and state government to build the public convenience/ toilet for the females.

5- To fight with the central and state government to help at the time of Natural Disaster.

6- To prevent the road accident, to drive safety campaign and to follow the traffic rule.

7- To gather the citizen and NRI's for the unity and brotherhood and to fight with central and the state government forthe uplifement of the same.

8- To select the accurate functionary officer for the unity and brotherhood in Indiandomicile council in the every state of India and to drive membership campaign.

9- To corporate with the every politic party working for the uplifement for the welfare of the society and national growth, and to fight for the right and respect of Indian Domicile.

10- To fight with The ministry of external affairs and the central government for the security, convenience and respect of every Indian domicile and those who are living in India and overseas.

11- To fight with the central government for the welfare and protection bills for the every state of India.

12- To provide security and safety to the every Indian domicile trader / employee and to fight with the central and state government for the up-liftmen of the same.

13- To distribute news, welfare, newspaper and magazine related to domicile and to display the TV channels and portals and to fight with the central and the state government for the same.

14- To conduct the sports and cultural events in the every state of India through the Indian domicile council and to give awards to the winners.

15- To conduct the campaign for the environment,wild life and plant implementation and to fight with the central and the state government for the same.

16- To conduct the campaign, spred awareness, dispute the medicine for the health in the every state of India.

17- To clean the rivers in every state of India, to conduct campaign for the protection of the same and to fight with central and the state government.

18- To conduct the campaign for the De-addiction in every state of India to fight with the central and the state government for the same.

भाग - 3

भारतीय प्रवासी परिषद् के उद्देश्य / मांग

1) भारत के प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) की गणना अलग से हो क्योंकि ऐसा लगता है की किसी भी राज्य सरकार के व्यक्ति से यदि ये सवाल किया जाये की आपके राज्य में कितने भारतीय प्रवासी (परप्रांतीय) रहते हैं तो राज्य सरकार के व्यक्ति को जवाब देना मुश्किल हो गाजब कि इन्ही भारतीय नागरिकों के सहयोग से राज्य और देश का विकास होता है और राज्य की सरकार बनती और बिगड़ती है | जिसका नतीजा आज साफ़ साफ़ दिख रहा है | और संविधान में माइग्रेशन/ डोमिसेइल सर्टिफिकेट का प्रावधान भी है |

2) भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवासी सूचना केंद्र / प्रवासी सहायता केंद्र खुलना चाहिए जो केंद्र सरकार के आधीन हो जिसमे प्रत्येक भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) का मैग्रेसन (प्रवासी/परप्रांतीय) सर्टिफिकेट एवं डोमिसाइल (मूलनिवास) सर्टिफिकेट प्रवासी सूचना केंद्र/ प्रवासी सहायता केंद्र से एक वर्ष के अंदर बनाया जाये ताकि केंद्रीय प्रशासन से मदद मिल सके व अत्याचारी व अराजकतत्वों का मनोबल न बड़ सके और जल्द से जल्द अराजकतत्वों को सबक मिल सके और राज्य सरकार के प्रशासनिक रवैये का एकछत्र राज्य खत्म हो सके। जिससे व्यापारियों,कामगारों, व सामाजिक कार्य करने वालों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

3) भारत के प्रत्येक राज्य में कामगारों, तकनीकि विदो, मजदूरों व ऑटोरिक्शा चालक व फेरीवालों व कमजोर और गरीबों के लिए भारतीय प्रवासी(परप्रांतीय) आवासीय योजना का निर्माण हो जिससे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालो को उचित स्थान मिल सके और नई झुग्गी झोंपड़ी का निर्माण न हो सके ।इस के लिए भारत सरकार से मांग करना।

4) भारत के प्रत्येक राज्य में स्थानीयवासी एवं भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) का राशन कार्ड , वोटर कार्ड , आधार कार्ड , बीपीएलकार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन कार्ड व अन्य सुविधाओं के कार्ड के लिए सरलता लाई जाये तथा इतने कार्ड की बजाये एक कार्ड बनाया जाये जिसमे सारे कार्ड का कोड हो जिससे सारे कार्य का निवारण हों सके इसके लिए भारत सरकार से मांग करना |

5) भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक धर्म को महत्व मिलना चाहिए और उनके मुख्य पर्व के दिन राज्य सरकार से अवकाश की घोषणा होनी चाहिए।इसके लिए भारत सरकार से मांग करना।

6) भारत के प्रत्येक राज्य की सरकारी व अर्धसरकारी संस्थानों में भारतीय प्रवासियों को भागीदारी का मौका मिलना चाहिए।चाहे वो किसी भी राज्य का हो इस के लिए भारत सरकार से अधिकार प्राप्ति की मांग करना।

7) भारतीय प्रवासियों(परप्रांतीयो) / आप्रवासियों को जो अन्य देश व प्रदेश में रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ाना तथा उनके द्वारा भारत देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के प्रयास के लिए भारत सरकार की ओर से उनको पुरस्कार और सम्मान देने के लिए मांग करना।

PART -3
AIMS OF INDIAN MIGRATION COUNCIL

1- The counting of the Indian domicile in the every state should be done separately because itsseems thatif the question be raised from the any state government that, “how many Indian domicile lives in your state”? than central government would not be able to give the answer. Whereas the growth and the government of nation is based on this group of Indian citizen.

2- In every state of India there should the information counter /prvasi helpdesk for the Indian domicile which must be under central government from where anyone can get the migration certificate and domicile certificate within one year from the Indian domicile information counter / Pravasi helpdesk and central administration can provide help and antisocial elements would get the lesson and central government cannot favour anyone, so that the traders employees and social workers would not face any difficulties.

3- To demand from the government of Indiathat in every state of Indiahousing for all (Bhartiya Awas Yojna) be made for technicians, Auto drivers, Street- hookers so that everyone who are living in hovel can get the best place for livings and new hovels would not be made.

4- To demand from the government of Indiathat in every state that more convenient steps should be taken to make the ration card, voter card, Adhar card, BPL card, Smart card or any other card and instead of these cards there should be one card containing the code number of all the cards so that every purpose be solved through that one card.

5- To demand from the Indian government that every religion in every Indian state must get the full importance and on the main day of the festival of any religion, the central government must declare the holiday.

6- To demand from the Indian government that the every Indian domicile should get the chance in every semi government and government organization whether he belongs to any state.

7- To demand from the Indian government that IndianDomecile/ Non Domicile whosoever are living in Indiaor overseas, would get the respect and they should be awarded by the Indian government to participate in the progress of Indian economy.

★ परिषद द्वारा विशेष सुविधाएँ/कार्य ★

- Job placement Facility
- Marriage Bureau System
- Protection Card
- Security & Man-Power

★ परिषद का सन्देश ★

"जात पात का भेदभाव इंकार है,
प्रांतवाद भेदभाव बेकार है।"
"हम सब भारतवासी हैं हमें भारत से प्यार है
वासी-प्रवासी-अप्रवासी की एकता यही हमारा विचार है"।।
डा. अजय तिवारी

भाग - 4

सदस्य:-

सदस्यता के प्रकार व् मताधिकार :- परिषद में निम्नांकित श्रेणी के सदस्य व् मताधिकार होंगे |

1. **संरक्षक सदस्य:** -जो व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में दान के रूप में रु51000/100000या अधिक देकरआवेदन पत्रप्रस्तुतकरेंगे वे परिषद के संरक्षक सदस्य बनाये जायेंगे और उन्हे राष्ट्रीयअध्यक्ष के हस्ताक्षर सेपरिचयपत्र प्रदान किया जायेगा व् भारत के प्रत्येक राज्य में सम्मानित किया जायगा |

2. **आजीवन सदस्य :-**जो व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में दान के रूप में 11000 रु - या अधिक देकरआवेदन पत्र प्रस्तुतकरेंगे वे परिषद के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे और उन्हे राष्ट्रीयअध्यक्ष के हस्ताक्षर से परिचय पत्रप्रदान किया जायेगा |

3. **साधारण सदस्य-:** जो व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में दान के रूप में रु 2100/ या अधिक देकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हे तीन वर्ष के लिए परिषद का साधारण सदस्य बनाया जायेगा|

4. **असाधारण सदस्य :-** जो व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र व् ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हे परिषद का असाधारण सदस्य बनाया जायेगा |

5. **सम्मानीयसदस्य**-: परिषद की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जोभी वह उचितसमझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा |

6. **मताधिकार :-** मत केवल आजीवन व् साधारण सदस्य को ही प्राप्त होगा, जिनके मत से राष्ट्रीयउपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संगठन सचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव व् संगठन सचिव का चुनाव हर 3 वर्ष में होगा | तथा प्रत्येक राष्ट्रीय पदाधिकारी व् प्रदेश अध्यक्ष को किसी अन्य राज्य का प्रभारी नियुक्त होने पर आवश्यकता अनुसार देय-भत्ता दिया जायगा |

SPECIALFACILITIES OF THE COUNCIL

- Job placement facilities
- Marriage bureau system.
- Protection card.
- Security and Man-Power

MESSAGE OF COUNCIL

"JAAT PAAT KA BHED BHAV INKAAR HAI
PRANTVAD BHED BHAV BEKAR HAI"
"HUM SAB BHARAT WASI HAIN HUMEIN BHARAT SE PYAR HAI
VASI-PRAVASI-APRAVASI KI EKTA YAHI HAMARA VICHAR HAI"

DR. AJAY TIWARI

PART-4
INDIAN OVERSEAS COUNCIL

Members

Types of Membership and franchise:-

The council will have the following category of members and franchises:

1. **Guardian Member:-**People who will submit the application prescribed form by giving more than Rs. 51,000/100000 in the form of donation in the prescribed letter will be made the guardian member of the council and they will be given an introductory letter signed by the National President and will be honored in every state of India.
2. **Lifetime Member:-**The people who will submit the application worth Rs.11,000/- or more in the prescribed letter will be made a lifetime member of the council and they will be given Identity Card by the National President.
3. **Ordinary member:-** People who will submit the prescribed letter by giving Rs. 21,00/- or moreas a donation, those members will be made the ordinary member of the council for 3 years .
4. **Extraordinary Members:-**The people presenting prescribed letter and online application form will be made extraordinarymember of the council.
5. **Respectable Member:-**The council's managing committee can make any person/persons as respectable members till whatever time the committee finds suitable. Such members can participate in the meetings of the general assembly but will not have the right to vote.

6 **Franchise:-**Only lifetime and ordinary members will get the vote. By whose vote, the election of national vice-president general secretary, secretary in-charge of the secretary state president, vice- president, secretary general and organization secretary will be held every 3 years and every national officer bearer and state president will be given the allowance as per the requirement as being appointed in charge of any other state.

7 <u>सदस्यता की प्राप्ति:-</u>

भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारतीय नागरिक स्थानीय वासी हो या भारतीय वासी / प्रवासी(परप्रांतीय) हो या अप्रवासी हो एवं केंद्र सरकार तथा राज्य शासन के शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय अधिकारी , कर्मचारी सभी चिकित्सक, बैज्ञानिक, अधिवक्ता , बिधार्थी , कृषकएवं मजदूर तथा समस्त भारतीय नागरिक जो किसी न किसी रूप में भारतीय नागरिक की श्रेणी में आतें हो इस परिषद की सदस्यता ग्रहण कर सकतें हैं |

✓ **<u>सदस्यों की योग्</u>** -परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भारतीय नागरिक में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है |

a) भारत का नागरिक हो सद्चरित्र हो |

b) परिषद के नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो|

c) उस पर कोई दंडनीय अपराध साबित न हुआ हो |

8 <u>सदस्यता की समाप्ति-:</u>

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी |

8.1 मृत्यु या पागल हो जाने पर |

8.2 संस्था को देय चंदे / सदस्यता शुल्क की रकम बताये नियम के अनुसारजमा न करने पर |

8.3 त्याग - पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर|

8.4 चरित्र दोष और परिषद् के नियमो का पालन करने से कार्यकारणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सुचना सदस्य कोलिखित रूप में देनी होगी|

8.5 ऐसे अपराध के लिए दंडित होने पर जो परिषद की दृष्टि में उसकी सदस्यता व् परिषद् के हित के लिए उचित न हो

<u>भाग - 5</u>

10.<u>कार्यालय</u>.

(अ.) **<u>राष्ट्रीय कार्यालय :</u>-**

परिषद का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एन.सी.आर. में होगा जिसमे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, सलाहकार एवं कोषाध्यक्ष का कार्यालय सुनिच्श्चित होगा एवं बैंक खाता का निर्वाहन राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव या कोषाध्यक्ष करेंगे उस कोषाध्यक्ष कार्यालय में संरक्षक, आजीवन एवं साधारण सदस्यों कीसदस्यता पंजी रखी जाएगी , उसमें निम्न जानकारी इंद्राज की जाएगी |

9.1 पिता / प्रत्येक सदस्य का नाम उम्र, पता शैक्षणिक योग्यता , व्यवसाय एवं फ़ोन नंबर

9.2 सदस्यता ग्रहण करने का दिनाक व रसीद नम्बर, सदस्यता के प्रकार एवं सदस्यता समाप्ति का दिनांक !

(ब.) **<u>प्रदेश कार्यालय</u>:-**

भारत के प्रत्येक राज्य में प्रदेश कार्यालय होगा जिसमे प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता एवं कोषाध्यक्ष का कार्यालय सुनिच्श्चित होगा एवं बैंक खाता का निर्वाहन प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव या कोषाध्यक्ष करेंगे उस कोषाध्यक्ष कार्यालय में उस प्रदेश के संरक्षक आजीवन एवं वार्षिक सदस्यों की सदस्यता पंजी रखी जाएगी उसमे नियम 9 (अ) के 9.1 एवं 9.2 के अनुसार ब्योरे दर्ज किये जायंगे | जिसके प्रति एवं सदस्यता शुल्क राष्ट्रीय कोषागार में भेजना अनिवार्य होगा |

7. **Receipt of Membership:-**Every person of India, either the citizen is permanent resident of India or a inhabitant/migrant of India and the official, semi official, Non official officers of central government and state government, staff, all physicians, science, advocates, students, farmers, and laborers and everyone who falls into the category of Indian citizens, can subscribe to this council.

✓ **Member's Eligibility: -**In order to become a member of the council, it is necessary for an Indian citizen to have the following qualifications:

d) Should be a citizen of India, has a neat character
e) Has pledged to comply with the rules of the council,
f) no penal offense is proven against the candidate

8. **END OF MEMBERSHIP:-**The membership of the institution will end in the following situations:

8.6 On death or if mentally unstable,|
8.7 The amount of payable dues/subscription fee (as per the rules) is not deposited to the institution,
8.8 On given resignation and its acceptance by the council,|
8.9 By following character defects and being dismissed by decision of executive committee whose decision is to be sent to the member in writing
8.10 On being punished for a crime which is not acceptable in the view of the interest of council and its membership and council interest.

PART – 5

9. OFFICE

(A.)National Office :-The national office of the council will be in the Delhi NCR in which the National President, vice president, General Secretary and treasurer's office will be ensured and take responsibility of the bank account will be taken by the National President and general secretary or treasurer, and in this treasurer's office, Subscription register of the lifetime members and the ordinary members will be kept, the following information will be entered:

9.1 Each member's name and guardian's name, age, Educational qualification, Business and Phone Number

9.2 Date of Acceptation of membership and receipt number, type of membership, and date of end of Membership.

(B.) State Office:-

There will be a state office in every state of India in which the state president, vice-president, general secretary and treasurer's office will be ensured and the bank account will be discharged by the state president and general secretary and treasurer in that treasurer's office. That treasurer's office will contain subscription register of Lifetime members and annual members and all the details will be recorded according to rules 9.1 and 9.2 of 9 (a). It is compulsory to send a copy of the former and membership fee to the national treasury.

(स.) **<u>जिला / तहसील / ब्लाक कार्यालय</u>:-** भारत के प्रत्येक संभाग / जिला / तहसील / ब्लाक स्तर पर परिषद का कार्यालय होगा जिसमे अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का कार्यालय सुनिच्श्चित होगा जिसमे आजीवन व् वार्षिक सदस्यों की सदस्यता की प्रति एवं उस संभाग / जिला / तहसील / ब्लाक स्तर के संरक्षक, आजीवन एवं साधारण सदस्यों की सदस्यता पंजी नियम नियम 9 (अ) के 9.1 एवं 9.2 के अनुसार ब्योरे दर्ज कर प्रदेश कार्यालय एवं सदस्यता शुल्क राष्ट्रीय कोषागार में भेजना अनिवार्य होगा |

(द.) राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिला / तहसील / ब्लाक कार्यालय में भारतीय नागरिक, भारतीय प्रवासी (परप्रांतीय) नागरिक की समस्या शिकायत पंजी रखी जाएगी |

(ध) प्रदेश कार्यालय , जिला / तहसील / ब्लाक कार्यालय में मिली दान / उपहार / आय का 25 प्रतिशत राष्ट्रीय कोषागार में जमा करना एवं पूर्ण विवरण के साथ लेखा-जोखा राष्ट्रीय कार्यालय में भेजना अनिवार्य है | जिससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य में परिषद् द्वारा बनाये योजना, सुविधा व् प्रदेश के किसी बड़े कार्यक्रम में सहयोग किया जा सके | ताकि प्रदेश स्तर की धनराशी प्रदेश के प्रवासियों(परप्रांतीयो) के हित में खर्च किया जा सके |

राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष/ जिला / तहसील / ब्लाक अध्यक्ष एवं प्रदेश व् राष्ट्रीय प्रभारी द्वारा कार्यकर्ताओ व् पदाधिकारियों की समीक्षा कर अपने कार्यालय मे उनकी आचरण का लेखा जोखा भी रखेंगे भारत सरकार द्वारा दण्डित व्यक्तियों को परिषद् मे प्रवेश न देने का भी कार्य करेंगे | ऐसे सदस्य को आपसी सहमती से निष्काषित करने का कार्य करेंगे |

<u>भाग - 6</u>

10. <u>आम सभा</u>

अ) **<u>आम सभा</u>-:** आम सभा में नियम 1 से 3 तक में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे , आम सभा कीबैठक आवश्कतानुसार हुआकरेगी परन्तु वर्ष में दो बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी , बैठक कामाह ,स्थान व समय कार्यकारणी समिति द्वारा निश्चित कर15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायगी | बैठक का कोरम सदस्यता के अनुसार १० - १५ या २००-१०००सदस्यता के अनुसार सदस्यों का होगा | संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 6माह केभीतर बुलाई जाएगी उसमे संस्था के पदाधिकारियों के संरक्षक सदस्य एवंसंस्थापक सदस्य दवरा बिधिवत निर्वाचन मनोनयन/किया जायेगा और सर्वप्रथम आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का बिधिवत चुनाव समायानुसार कराया जायेगा ।

(ब.) <u>प्रबंधकारिणी सभा</u> :- प्रबंधकारिणी समिति की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 6 माह में प्रदेश स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एवं जिला /तहसील / ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक 3 माह में आयोजित होगी। बैठक एजेण्डा तथा सुचना बैठक दिनांक से 15 दिन पूर्व प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकारणी सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी | बैठक में कोरम ½ घंटा के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः बैठक की जा सकेगी, जिसमे कोरम पूर्ण होने की शर्त नहीं होगी |

(स) <u>विशेष:-</u> यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के १० - १५ या १०० - १००० (सदस्यता के अनुसार) सदस्योंद्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये बिषय पर बिचार करने हेतु आम सभा की बैठक बुलाई जायगी जिसमे बिशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिसंकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक को भेजा जायेगा |

(C.) District/Tehsil/Block Office:-There will be office of the council at every division/district/tehsil and block level of India. in which the office of the director, general secretary and treasurer will be ensured, it will be mandatory to send the state office and membership fee to the real person by entering the details as per the copy and membership of the life an annual membership of the members and the protection of the district and block level and the membership of the members and ordinary members of the registration rules in which copy of membership of lifetime and annual members and subscription register of guardian, lifetime and ordinary members of that division/district/block level will be recorded according to rule 9.1 and 9.2 of 9 (a) and sent to state office and membership fee to national treasure mandatorily.

(D.) A complaint register consisting the problems of Indian citizens will be maintained in the national office and state office, district/Tehsil/ block office.

(E.) It is compulsory to deposit 25% of the donations/ gifts received in the state office, district, tehsil and block offices and deposited in the national treasury and the statement of account should be sent to the national office with full detail so that facilities and plans made by council, or any major program of state can be facilitated in any state on national level and the funds of state could be spent in the interest of the migrants of the state

(F.) After analyzing the workers and officials by the state president/state president/district/tehsil/block director and state and national in-charge, they will also maintain account of their conduct in their offices. They will also do the task of not letting people punished by the government of India to enter in the council Such member will be expelled by them by mutual consent.

PART– 6
GENERAL ASSEMBLY

(A) GENERAL ASSEMBLY-: In general meeting, members mentioned in the category of Rule 1 to 3 will be inclusive, the meeting of general body will done as required, but meeting should be held twice a year mandatorily. The month, venue and time of the meeting will be decided by the executive committee and this information will be given to each member 15 days prior to the meeting. Quorum of the meeting will be According to the membership 10-15 or 200-1000 membership according to the members. The first general meeting of the institution will be convened within 3 months from the date of registration. It will be duly elected by the conservation members and the founding member of the organizations officers. And first of all, the general meeting will be organized in the guidance of any responsible official according to the time decided by the officials. In this,duly election/nomination will be done by the guardian members and founder members of officials of the institution.

(B.) EXECUTIVE MEETING :-The meeting of the executive committee will be held at the national level in every 6 months, every 3 months at the state level, every 3 months at the District/Tehsil/ Blocklevel. The meeting agenda and information about the meetings will be required to be sent to every office and executive member 15 days prior to the date of meeting. The quorum will be adjourned for half of an hour and the same place can be re-arranged on the same day, in which there will be no condition to complete the quorum.

(C.) Special:-If the minimum total number (number of total members) of 10 or 15 or 100-2000 (according to the membership) request to make a meeting in written form, then a meeting of the general meeting will be convened to discuss to subject of their exhibits, in which when a special resolution is passed, the copy of the resolution will be sent to the registrar within 30 days from the date of the passage.

11. आम सभा के अधिकार एवं कर्तब्य :-

11.1 आम सभा के अधिकार एवं कर्तब्य:-

(a) परिषद के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं महासचिव / कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रति वेदन स्वीकृत करना।

(b) परिषद की स्थाई निधिव सम्पति की ठीक व्यवस्था करना ।

(c) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

(d) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(e) परिषद द्वारा संचालित समितियों के आय - व्यय पत्र को स्वीकृत करना

(f) वजट का अनुमोदन करना।

11.2 प्रबंधकारिणी सभा के अधिकार एवं कर्तब्य :-

a) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना |

b) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखपूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

c) संस्था एवं उसके आधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना | संस्था की चल - अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना |

d) कर्मचारियों की नियुक्ति करना |

e) अन्य आवश्यक कार्यकरना, जो साधारण/ आम सभा द्वारा समय - समय पर सौपें जाए।

f) संस्था के समस्त चल - अचल संपत्ति , कार्यकारणी संस्था (भारतीय प्रवासी परिषद्) के नामसेरहेगी।

g) संस्था द्वारा कोई भी स्थिर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञाव् राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना बिक्रय द्धारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी।

h) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार - विमर्श कर साधारण/आम सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुतकरेगी | साधारण सभा में कुल सदस्यों १०-१५ या २००-१००० मत (सदस्यता के अनुसार) से संशोधित पारित होने पर उक्तप्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

12. **समिति व् पदाधिकारी का गठन:-**

परिषद को सुदृढ़ बनाने एवं सुब्यवस्थित करने तथा उद्देश्यों के अनुरूप सुचारू रूप से कार्य सम्पादित करने हेतु राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत अनेक समितियां गठित की जाएगी।

12.1 भारत के प्रत्येक राज्य में प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति गठित होगी |

12.2 भारत के प्रत्येक राज्य, जिला / तहसील / ब्लाक स्तर पर प्रबंधकारिणी समिति गठित होगी |

12.3 भारत के प्रत्येक राज्य व् राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग -4 के एक से तीन के सदस्यों के अनुसार मत देने का अधिकार केवल आजीवन व् साधारण सदस्य को ही प्राप्त होगा, जिनके मत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संगठन सचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव व् संगठन सचिव का चुनाव हर 3 वर्ष में होगा लेकिन पदाधिकारियो को भाग-4 के 8.1 से 8.5 के अनुसार पाए जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायगी | प्रत्येक राष्ट्रीय पदाधिकारी व् प्रदेश अध्यक्ष को किसी अन्य राज्य का प्रभारी नियुक्त होने पर आवश्यकता अनुसार देय-भत्ता दिया जायगा |एवं कार्यप्रणाली सही होने पर प्रदेश अध्यक्ष/जिला अध्यक्ष/वार्ड अध्यक्ष को कार्यालय रखरखाव,वहानभात्ता दिया जाएगा ।

.

11.RIGHTS AND DUTIES OF THE GENERAL ASSEMBLY:-

11.1Rights And Duties Of The General Assembly:-

(a) The annual description of the former year of the council and to accept progress report presented by general secretary/ treasurer

(b) Arrangement of the permanent fund and property of the council.

(c) Appointing auditors for the upcoming year

(d) Consider other topics which are submitted by the executive

(e) Accept the letters of expenses of the committees operated by the council

(f) Approved budget

11.2 RIGHTS AND DUTIES OF THE EXECUTIVE COUNCIL:-

i) the objectives for which The Institution is formed to achieve, fulfill it and arrange for fulfillment of this intent

j) To present tested Former year's article of expenditure in the meeting of the General Assembly every year with progress report being present.

k) To pay the salaries and allowances etc. to the employees of the institute and its operated institutions, and to pay tax on the movable-immovable property of the institution

l) Appoint the employees

m) Perform other necessary functions, which may be given by general assembly from time to time

n) All the movable and immovable property of the organization will be registered in the name of executive organization (Indian overseas council)

o) Any fixed asset cannot be sold or transferred by the organization without written permission of the registrar or without sale of national president

p) Invite for the special meeting and present the meeting of the discussion on the proposal of amendment in the legislation of the council, after passage of amendments by total members 10-15 or 200-1000 votes (acc to membership) in the general assembly, pass the said proposal and send to registrar for approval and present in the spl meeting of general assembly for its acceptanceand will presented for acceptance. Upon the revised passage of 8 and 7 members votes in the general meeting, the said proposal will be passed and will be sent to registrar for approval.

12. Constitution Of The Committee And The Officer:-

Many committees will be constituted under the national managing committee for strengthening the council and managing the work smoothly according to the objective

12.1A State Management committee will be constituted in every state of India

12.2A management committee will be constituted at each region/ District/Tehsil/Block level in India

12.3 The right to vote, according to the members of the national executive, 1 to 3 of part-I V, will be given only to the life and the ordinary members in each state of India, in whose opinion the election of the national vice present, organization secretary, general secretary, and secretary will be held every 3 years but the officers will be disqualified after being found in part 4 of 8.1 to 8.5. If every national officer and state president is appointed in charge of any other state, allowance will be given as accordance of needs.

13. <u>प्रबंधकारिणी समिति का गठन :-</u> प्रबंधकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार होगी ।

13.1 राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति:- राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्यगण होंगे।

(अ) पदाधिकारी		<u>संख्या</u>
1.	राष्ट्रीय सरंक्षक	30
2.	राष्ट्रीयअध्यक्ष (संस्थापक/संयोजक)	01
3.	राष्ट्रीयउपाध्यक्ष	10
4.	राष्ट्रीयमहासचिव (प्रशासन)	01
5.	राष्ट्रीयमहासचिव (संग़ठन)	01
6.	राष्ट्रीयमहासचिव (विधि)	01
7.	राष्ट्रीयमहासचिव(प्रोजेक्ट)	01
8.	राष्ट्रीयमहासचिव(लेखा)	01
9.	राष्ट्रीयमहासचिव(बजट)	01
10.	राष्ट्रीयप्रवक्ता (प्रशासन)	01
11	.राष्ट्रीयप्रवक्ता(संग़ठन)	01
11.	राष्ट्रीयकोषाध्यक्ष	01
12.	राष्ट्रीयसचिव	15
13.	राष्ट्रीयसंयुक्तसचिव	15
14.	राष्ट्रीयसंग़ठनसचिव	15
15.	राष्ट्रीयकार्यलयीनसचिव	01
16.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य	60
		157

<u>सदस्य :-</u>

1. राष्ट्रीय समिति के अंतर्गत राष्ट्रीयअध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव (पदेन), कोषाध्यक्ष

2. प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव, कोषाध्यक्ष

3. अंकेक्षक (पदेन)

4. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो या दो से अधिक तीन सदस्य (अंकेक्षक सहित) इस प्रकार जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति कुल सभा सदो की संख्या विषम हो जाये |

13.2. <u>प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति</u> :-

प्रदेशस्तरपरप्रदेशप्रबंधकारिणीसमितिमेंनिम्नांकितपदाधिकारीएवंसदस्यहोंगे :-

(अ) <u>पदाधिकारी</u>		<u>संख्या</u>
1.	सरंक्षक	15
2.	प्रदेशअध्यक्ष	01
3.	प्रदेशउपाध्यक्ष	06
4.	प्रदेशमहासचिव (प्रशासन)	01
5.	प्रदेशमहासचिव (संगठन)	01
6.	प्रदेशप्रवक्ता	01

13. Constitution Of the Committee **:-** The formation of the committee will be as follows:

13.1 National management committee:-The following officers and members will be appointed in the national management committee:

(A)	**Officers**	**Number**
1.	National Guardian	30
2.	National President (Coordinator)	01
3.	National Vice President	10
4.	National General Secretary (Administration)	01
5.	National General Secretary (Organization)	01
6.	National General Secretary (Law)	01
7.	National General Secretary (Project)	01
8.	National General Secretary (Accounting)	01
9.	National General Secretary (Budget)	01
10.	National Spokesperson (Administration)	01
11.	National Spokesperson (Organization)	01
12.	National treasurer	01
13.	National Secretary	15
14.	National Joint Secretary	15
15.	National Organization Secretary	15
16.	National office Secretary	01
17.	National Executive Member	60
		157

(B) Members :-

1. National president and National General Secretary Treasurer under National Committee

2. Regional president and general secretary treasurer

3. Auditor

4. Two or more than two, maximum three members nominated by the National president (Including the auditor). In this way, the national work committee should be asymmetrical.

13.2. PROVINCIAL MANAGEMENT COMMITTEE:-

The following are the members and officers at the regional level in the regional management committee:-

(A) Officers		**Number**
1.	Guardian	15
2.	Regional president	01
3.	Regional vice president	06
4.	Regional general secretary (Administration)	01
5.	Regional general secretary (organization)	01
6.	Regional spokesman	01

7.	प्रदेश कोषाध्यक्ष	01
8.	प्रदेश सचिव	04
9.	प्रदेश संयुक्त सचिव	04
10.	प्रदेश संगठन सचिव	04
11.	प्रदेश विधि सचिव	01
12.	प्रदेश कार्यालयीन सचिव	01
13.	प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य	15
		55

(ब) <u>सदस्य:-</u>

1. गत प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव (पदेन), कोषाध्यक्ष
2. प्रदेश जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री (पदेन), कोषाध्यक्ष
3. प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो या तीन जिससे सभा सदो की संख्या विषम हो जाये |

13.3 <u>जिला, तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति</u> :-

प्रदेशकेप्रत्येकजिलेमेंजिलाप्रबंधकारिणीसमितिएवंतहसीलस्तरपरतहसीलप्रबंधकारिणीब्लाकस्तर, ब्लाकप्रबंधकारिणीसमितिमेंपदाधिकारीनिम्नानुसारहोंगे :-

अ)	<u>पदाधिकारी</u>	<u>संख्या</u>
1.	संरक्षक	05
2.	अध्यक्ष	01
3.	उपाध्यक्ष	06
4.	महासचिव/(संगठन/प्रशासन)	02
5.	कोषाध्यक्ष	01
6.	सचिव	04
7.	संयुक्तसचिव	04
8.	संगठनसचिव	04
9.	कार्यालयीनसचिव	01
10.	जिला कार्यकारिणी सदस्य	10
		38

(ब) <u>सदस्य:-</u>

1. गत अध्यक्ष एवं महासचिव (पदेन), कोषाध्यक्ष
2. जिले का जिला अध्यक्ष एवं सचिव (पदेन),कोषाध्यक्ष
3. सभा सदों की विषम संख्या हेतु एक या दो सदस्य जिला अध्यक्ष द्धारा मनोनीत |

13.4. <u>राष्ट्रीय/ प्रदेश/ जिला स्तर पर महिलामोर्चा ,युवामोर्चा, खेलकूद एवं सांस्कृतिक मोर्चा में जिला, तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति :-</u>

राष्ट्रीय / प्रदेश/ जिले के प्रबंधकारिणी समिति एवं तहसील स्तर पर तहसील प्रबंधकारिणी ब्लाक स्तर, ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति में पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे जो राष्ट्रीय / प्रदेश / जिला अध्यक्ष के सहमति से कार्य करेंगे |

7.	Regional treasurer	01
8.	Regional secretary	04
9.	Joint regional secretary	04
10.	Regional organization secretary	04
11.	Regional law secretary	01
12.	Regional executive secretary	01
13.	Regional executive member	15
		55

(B) Members:-

1. Former regional president and regional general secretary (Exclamation), Treasure
2. Regional District President and General Secretary(Exclamation) treasurer
3. Two or three members, nominated by the regional president, the number of the assembly sects
be asymmetrical

13.3 District, Tehsil and Block Managing Committee:-

In each district of the state, the district managing committee and the Tehsil Executive committee at the Tehsil level, the officers in the block management committee will be as follows:-

(A)	**Officers**	**Number**
1.	Guardian	05
2.	President	01
3.	Vice president	06
4.	General secretaryTreasurer(Administration/Organization)	02
5.	Treasurer	01
6.	Secretary	01
7.	Joint secretary	04
8.	Organization secretary	04
9.	Office secretary	04
10.	District Executive member	10
		38

(B) Members :-

1. Former president and General Secretary, Treasurer
2. District President and Secretary of District, Treasurer
3. One or two members nominated by the District president for the asymmetrical Number of the Assembly members.

13.4 Management committee of National/state/district and tehsil executive block level on the tehsil level, following officer will be present in block management committee who will work with the consent of national/state/district president

(अ) पदाधिकारी (राष्ट्रीय / प्रदेश / जिला):-		संख्या
1.	संरक्षक	03
2.	अध्यक्ष	01
3.	उपाध्यक्ष	06
4.	महासचिव	01
5.	कोषाध्यक्ष	01
6.	संयुक्त सचिव	04
7.	संग़ठन सचिव	04
8.	कार्यकारिणी सदस्य	04
		24

13.5 अनुशासन समिति: -

अनुशासन समिति में उठने वाले विभिन्नी आंतरिक विवादों को सुल्जहने एवं उन पर अपने परिषद् का निर्णय देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासन समिति गठित होगी जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे |

पदाधिकारी एवं सदस्य		संख्या
1.	राष्ट्रीयअध्यक्ष	01
2.	प्रदेशअध्यक्ष	01
3.	सदस्य	04
		06

13.6. चयन समिति :-

प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य के निर्वाचन / मनोनयन हेतु प्रस्तावित नामो पर आपने निर्णय देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :-

पदाधिकारी एवं सदस्य		संख्या
1.	प्रदेशअध्यक्ष	01
2.	सदस्य	04
		05

13.7 मानव अधिकार समिति:-

परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप बिचारों के साथ हो रहे अत्याचार एवं मानव अधिकारों का हननको रोकने एवं उन्हे उचित न्याय दिलाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार समिति गठित होगी जिसमे निम्नांकित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :-

पदाधिकारी एवं सदस्य		संख्या
1.	अध्यक्ष	01
2.	उपाध्यक्ष	02
3.	महासचिव	01
4.	सदस्य (एक महिला सदस्य)	03
		07

(A) Officers (National/Territory/District):-		Number
1.	Guardian	03
2.	President	01
3.	Vice president	06
4.	Secretary	01
5.	Treasurer	01
6.	Joint secretary	04
7.	Organization secretary	04
8.	Executive members	04
		24

13.5 Disciplinary Committee-:

A disciplinary committee at the national level will be constituted to resolve the various internal disputes arising in the disciplinary committee and so that council can provide their decisions on these issues.

Officers and members		Number
1.	National president	01
2.	State President	01
3.	Member	04
		06

13.6. Selection committee :-

A selection committee will be constituted at the national level to give its decision on names proposed for the election of state level officials and members. The following members and officers will be present in a selection committee :-

Officials and Members		Numbers
1.	State President	01
2.	Members	04
		05

13.7 Human Rights Committee:-

According to the objectives of the council, a human rights committee will be constituted at the national level to prevent the atrocities and violation of ideas and human rights and to get proper justice for them. In which the following officers and members will be present:-

Officers and members		Number
1.	President	01
2.	Vice president	02
3.	Secretary	01
4.	Members (One Female Member)	03
		07

13.8 <u>भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति :-</u>परिषद से सम्बन्ध राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टचार उन्मूलन समिति गठित होगी जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :-

<u>पदाधिकारी एवं सदस्य</u> :-	<u>संख्या</u>
1. अध्यक्ष	01
2. उपाध्यक्ष	01
3. महासचिव	01
4. सदस्य (एक महिला सदस्य)	03
	06

<u>अन्य समितियां</u> :- राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण एवं प्रदूषण जल संवर्धन आदि विविध विषयो से सम्बंधित राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकतानुसार समितिया गठित होंगी |

14. <u>प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन :-</u>

14.1. <u>राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति :-</u>

आम सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन / मनोनयन परिषद के संस्थापक तथा राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों एवंसदस्यों द्वारा बैठक के आधार पर किया जावेगा तथा शेष पदाधिकारियों का मनोनयन / निर्वाचन राष्ट्रीयअध्यक्ष, राष्ट्रीयउपाध्यक्ष, राष्ट्रीयमहासचिव एवं राष्ट्रीयकोषाध्यक्ष तथा संस्थापक सदस्यों की बैठक में सर्व सम्मति के लिए निर्णय अनुसार होगा |

14.2 <u>प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति :-</u>

प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन / मनोनयन राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा तथा शेष पदाधिकारी का मनोनयन निर्वाचन / मनोनीत प्रदेशअध्यक्ष, उपाध्यक्ष , महासचिव एवं कोषध्यक्ष मिलकर करेंगे तथा गठित कार्यकारिणी का अनुमोदन प्रदेश प्रभारी के अनुशंसा उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा |

14.3 <u>जिला , तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति</u> :-

जिला , तहसील एवं ब्लाक प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , महासचिव एवं कोषध्यक्ष निर्वाचन /मनोनयन हेतु प्रस्तावित नाम प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किये जाएंगे तथा उनके अननुमोदन पश्चात शेष कार्यकारिणी का गठन जिला , तहसील एवं ब्लाकअध्यक्ष , उपाध्यक्ष , महासचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा की जाकर कार्यकारिणी का अनुमोदन संभागीय अध्यक्ष की अनुसंशा पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की जाएगी |

14.4<u>अनुशासन समिति :-</u>आम सभा में संस्थापक सदस्यों एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी द्वारा अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा तथा राष्ट्रीयअध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी होगी |

14.5 <u>राष्ट्रीय चयन समिति :-</u>

प्रदेश एवं संभाग स्तर के अध्यक्ष महासचिव सचिव एवं कोषध्यक्ष के निवार्चन / मनोनयन हेतु नाम सभा / राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी की बैठक में संस्थापक सदस्यों एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा |

13.8. OtherCommittees:-

Other committees will be formed on the various subjects like health, education, social justice, women and child development, environment and pollution, water etc., will be formed at national level as per the requirement.

Election of the Executive Committee :-

14.1. National Management Committe:-

In the general meeting, the election/nomination of National president, the Vice-president general secretary and the treasurer will be done on the basis of the meeting by the officials and members of the national managing committee and chairman of the council and the remaining officials will be elected/nominated by the decision of common consent of the National president, national vice president, national general secretary, and the national treasurer and the chairman in the meeting of the founding members.

14.2 State Management Committee :-

The president of the regional management, general secretory and treasurer committee will be elected by the national executive committee by discussing the proposal submitted by the national selection committee and the remaining officers will be elected/nominated by the president of the vice president, general secretary and the treasurer and the approval of the and the approval of constituted executive will be done by the national president after the approval of state in-charge.

14.3 District, Tehsil and Block Management Committee :-

The chairman, vice president general secretary and treasurer of block, District, Tehsil executive committee will be elected/nominated and the proposal of the name will be done by the state president, and after their approval, the remaining executive committee will be constituted by the approval of chief of the Tehsil, District and Block president, vice president, the general secretary and treasurer and the remaining executive will be formed by the Block, Tehsil and district president, Vice President, General Secretary and Treasurer and the Approval of execution will be done by the state president after the approval of divisional president.

14.4 Disciplinary Committee:-

Chairman and members of the disciplinary committee will be nominated by the founding members and national managers in the general meeting and the notification will be issued by the signature of the National president.

14.5 National Selection Committee:-

According to the decision taken unanimously by the founding members and the national executive in the meeting of the national managing committee for the election/nomination of the president at the state and division level, general secretary, secretory, and the treasurer, and the chairman and members of the national selection committee will be nominated by the National president.

14.6. <u>मानव अधिकार समिति :-</u> आम सभा / राष्ट्रीय प्रबंध कारिणी समिति के बैठक में मानव अधिकार समिति के पदाधिकारी / सदस्य हेतु राष्ट्रीय चयन समिति से प्राप्त प्रस्तावित नामो पर सर्व सम्मति से बिचारो परांतराष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी |

14.7. <u>भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति :-</u>आमसभा / राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के बैठक में राष्ट्रीय चयन समिति के पदाधिकारी / सदस्य हेतु राष्ट्रीयअध्यक्ष द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी |

14.8 <u>अन्य समितियां :-</u>राष्ट्रीय स्तर पर अन्य समितियों का गठन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार होगा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष /राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की जाएगी |

15<u>. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल :-</u>राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत गठित समस्त समितियों का कार्य काल २ वर्ष का होगा , समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक की नई प्रबंध कारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं जाता कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारणसभा से कराना अनिवार्य होगा |

16. पधाधिकारिओं का अधिकार एवं कर्तब्य |

16.1. राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति |

<u>राष्ट्रीय अध्यक्ष:-</u>

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे |
2. परिषद की संचालित होने वाली समस्त गतिबिधियों का उत्तरदायी होंगे |
3. राष्ट्रहित में परिषद की उन्नति एवं रक्षा में हरसमय प्रबृत रहेंगे |
4. वह प्रत्येक व्यक्तियों के हित में सरकार /शासन प्रशासन या अन्य को ज्ञापन प्रस्तुत करते समय प्रतिनिधि मंडल का नेतृव करेंगे तथा समस्याओं का समाधान कराने में अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे |
5. वह परिषद के समस्त कार्य सुचारू रूप से संपादित करने में तत्पर रहेंगे |
6. वह राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत समस्त प्रदेश / जिला/ तहसील/ एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कार्यो की समीक्षा करेंगे तथा परिषद के कर्तव्यों का उचित निर्वहन करेंगे|
7. वह परिषद की ओर से समस्त न्यायालयी न विधियों को सम्पंन और दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करेंगे |
8. वह राष्ट्रीय महासचिव से परिषद की आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठको का आयोजन एवं संचालन करायेंगे |
9. वह राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के समस्त पदाधिकारियों को परिषद हित में दायित्व सौंप सकेंगे |
10. राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा |

<u>राष्ट्रीय उपाध्यक्ष :-</u>

1. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेंगे |
2. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार परिषद के कार्यो में हाथ बटायेगे और प्रशासन एवं संगठन को चुस्त एवं निर्णयानुसार सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे |

14.6. Human Rights Committee:- In the meeting of the general assembly/ national managing committee, notification of the nominations received from the national selection committee for members of the human rights committee will be issued by the national president with unanimous views.

14.7. Corruption Eradication Committee:-Notification will be issued by the national president for the national selection committee's officials and members in the meeting of the general meeting of the national managing committee.

14.8 Other Committees :- The formation of other committees at the national level will be in accordance with the unanimous decision taken in the meeting of the national executive committee and the notice will be issued by general secretary (Administration)/National president.

15. Term of the National Committee:-The Tenure of the all the committees constituted under the national managing committee will be for two years, but if by the considerable reasons of the committee, the new executive committee is not constructed by the rules or due to other reasons till that time, the committee will continue to work but the said period will not be more than 6 months, whose approval will be mandatory in the general meeting.

16. Rights and Duties of Officers

16.1. National Management Committee

National president:-

1. National president Presides over all the meetings of the national managing committee and general assembly
2. Answerable for all the activities of the council
3. He will be enlightened in the progress and defense of the council in the national interest at all the times
4. He will lead the delegation while presenting a memorandum to the Government/administration, or others in the interest of each individual and will play a vital role in solving problems
5. It will be active to accomplishing all the functions of the council smoothly
6. Under the national managing committee, he will review the functions of the officers and members and management committee of the block, District, Tehsil and proper discharge of duty of the council.
7. He will fulfill all the procedures and sign all the judicial documents on the behalf of the council.
8. He will organize and conduct the meetings of the general assembly of the council and the national managing committee meetings from the national general secretary.
9. He could give all the officers of the National Management committee the liability in the council's interest.
10. National presidents opinion will be decisive in the matters of consideration.

National Vice-President :-

1. He presides over all the meetings of the general meetings and the national management committee in the absence of the National president.
2. According to the order of the National president, he will assist in the functions of the council and will be trying to strengthen the administration and organization and tighten rules according to the rules.

3. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपेग ये प्रभार वाले प्रदेश में प्रदेश/ जिला/ तहसील/ एवं ब्लाक स्तर पर प्रबंधकारिणी समितियों का गठन कराने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे |
4. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्धारा सौंपेग ये प्रभार वाले प्रदेश में वह परिषद के उदेश्यों के अनुरूप उस प्रदेश/ जिला/ तहसील/ एवं ब्लाक स्तर के पदाधिकारियों को निरन्तर सक्रिय रखने के लिए उत्तरदायी होंगे |
5. सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा किया जायगा ।

1. राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन) राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार प्रशासन से संबंधित समस्त पत्राचार करेंगे |
2. वह परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे और राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति में लिए गये निर्णयनुसार कार्य करेंगे |
3. वह प्रशासन को चुस्त रखने में सदैव प्रवृत रहेंगे |
4. वह सरकार / शासन / प्रशासन से उपभोक्ता के हित वाले नियमों /आदेशो की जानकारी समय-समय पर प्रदेश प्रबंधकारिणी को प्रेषित करते रहेंगे |
5. वह सरकार एवं शासन प्रशासन/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठिानो / फर्मो/ सरकार एवं शासन के उपक्रम/ प्रा. लि. मि. आदि प्रशासन से संबंधित समस्त पत्राचार करेंगे एवं उसकी प्रति सुरक्षित रखेंगे |

<u>राष्ट्रीय महासचिव (संगठन):-</u>

1. राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य करेंगे |
2. आम सभाएवंराष्ट्रीयप्रबंधकारिणीसमितिकीबैठकोकाआयोजनहेतुसंगठनकीओरसेपत्राचारकरेंगे |
3. वह संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्षों को पत्राचार करेंगे|
4. वह राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश/जिला/ एवं ब्लाक स्तरीय प्रबंधकारिणी समिति के गठन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे |
5. वह आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की आयोजित बैठको का कार्यवाही विवरण प्रबंधकारिणी समिति के प्रत्येक पदाधिकारियों एवं प्रदेश आध्यक्षो को प्रेषित करेंगे |

<u>राष्ट्रीय महासचिव (विधि) :-</u>

1. राष्ट्रीय महासचिव (विधि) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति परामर्शानुसार विधि से संबंधित समस्त पत्राचार करेंगे |
2. वह पीड़ित विचार को प्रकरणों को प्रतितोषण आयोग में दायर करने हेतु परमर्श देंगे |
3. वह सरकार/ शासन/ प्रशासन/ प्रतिष्ठानों/ कंपनियों/ फर्म/ उत्पादनकर्ताओं आदि को विधि एवं न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित समस्त पत्राचार करेंगे |
4. वह परिषद के अंदर या बाहर उठने वाले न्यायालयीन विवादों को निराकरण कराने में समुचित योगदान देंगें |
5. प्रत्येक व्यक्ति को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने हेतु क़ानूनी सलाह देंगे |

3. He will play a major role in the formation of management committees at the district, block, and tehsil level in the state of whose charge is given by the National president.
4. In the state charge given by the National president, he will be responsible for keeping the state, District, tehsil, and block level functionaries continuously active in line with the objectives of the council.
5. The working area of all national vice-presidents will be determined by the National president and the national managing committee.

1. All correspondence related to the administration will be done according to the order of national general secretary and the decision of the national managing committee (Administrative)
2. He will be the chief executive officer of the council and will act as according to the decisions taken by the national managing committee
3. He will always be inclined in keeping the administration active
4. He will continue to send information to the state management about the government from the Government/Administration about the interest of the consumer from time to time
5. He will do all the propaganda related to government and administration/ Companies, Institutions/Firms and other governance activities/pvt. ltd. etc. and keep its copy safe.

National General Secretary (Organization):-

1. National general secretary will work to strengthen the organization, according to the national president and the decision of the national management committee
2. To organize meeting of the general assembly and the national managing committee, and correspond on the behalf of the organization
3. He will correspond to the state incharge and the state chairman as per the order of the National president for smooth organization of organizational activities
4. He will be working for the organization of managing committees at state/District and block level under the national managing committee
5. He will forward the proceedings of meetings held by the general assembly and the national managing committee, to all the officers of the management committee and the state.

National Secretary General (Law) :-

1. The national General Secretary (Law), National president and the national executive committee will conduct all correspondence related to the law in accordance with the order
2. He will advice the victims to file the cases to the repatriation commission
3. He will make all correspondence related to law and judicial cases to government, administration, governance, establishments, companies, firms, producers etc.
4. They will make as appropriate contribution to the settlement of judicial disputes within or outside the council
5. Provide legal advice to each person to be aware of their legal rights and duties

राष्ट्रीय महासचिव (प्रोजेक्ट) : - राष्ट्रीय महासचिव (प्रोजेक्ट) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार सरकार/ शासन प्रशासन द्धारा चलाये जा रहे योजनान्तगर्त विभिन्न विभागों से प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल कर रूप रेखातैयार करेंगे तथा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रोजेक्ट तैयार कर राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के अवलोकन एवं निरीक्षण उपरान्त विधिवत रूप से संबंधित विभाग को पास कराने हेतु प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे |

राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) :-राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्शानुसार एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार एवं सभा राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में वार्षिक आय व्यय पत्रक प्रस्तुत करेंगे | पंजीयक एवं रजिस्ट्रार फर्म संस्था के नियमानुसार धारा२७एवं२८कीजानकारीप्रेषितकरेंगे | राष्ट्रीयकोषाध्यक्षकेसहयोगसेपरिषदकालेजरबुकतैयारकरेंगे | लेखा से सम्बंधित समस्त पत्राचार राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) द्धारा किया जायेगा |

राष्ट्रीय महासचिव (वजट):- परिषद की आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न मदों में व्यय होने वाले सालाना अनुमानित बजट प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी निर्णयानुसार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार वजट पारित करने आदि से सम्बंधित समस्त पत्राचार राष्ट्रीय महासचिव वजट द्धारा किया जावेगा |

राष्ट्रीय प्रवक्ता (प्रशासन) :-राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार सरकार/ शासन/ प्रशासन/ कंपनियों/ प्रतिष्ठानों/ फर्मों/ उत्पादनकर्ताओं आदि प्रशासन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के हित में पत्रकार वार्ता आयोजित कराना, समय समय पर प्रेस बिज्ञप्ति जारी करना आम सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों में प्रशासनिक राय ब्यक्त करना उनको अमल में लाने हेतु सलाह मसविरा करना आदि राष्ट्रीय प्रवक्ता (प्रशासन) द्धारा किया जायेगा |

राष्ट्रीय प्रवक्ता (संगठन) :-राष्ट्रीय अध्यक्ष परामर्शनुसार एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार परिषद हित में समस्त संगठनात्मक गतिविधियों के सम्बन्ध जानकारी देना, संगठन के उदेश्यो को बताना उसे अमल में लाने हेतु उपाय सुझाना संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु बिचार ब्यक्त करना, संगठन से सम्बंधित गतिबिधियों के सम्बन्ध में प्रेस बिज्ञप्ति जारी करना पत्रकार वार्ता आयोजित करना आदि राष्ट्रीय प्रवक्ता (संगठन) द्धारा किया जायेगा |

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :-

१. वह परिषद के समस्त आय प्राप्त कर रसीद प्रदान करेंगे तथा ब्यय किये गाये राशि का रशीद प्राप्त करेंगे
२. वह तिमाही माह में प्रदेश/जिला/संभाग/ब्लाक से लेखा-जोखा मांग कर राष्ट्रिय महासचिव प्रशासन से अनुमोदित करा कर राष्ट्रिय अध्यक्ष भी प्रेषित करेंगे |
३. राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्षया राष्ट्रीय महासचिव (प्रसाशन) एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से परिषद का खाता खोला जायेगा जिसमे वह परिषद के सम्पूर्ण धनराशि का विनियोग करेंगे |
४. परिषद का समस्त आय ब्यय पत्रक तैयार करेंगे जिसे आम सभा एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) को सौंपेगे जिसे आंकेक्षित करा के राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) प्रतिवेदन के प्रयुत रोंस हित स्वीकृति हेतु बैठक में रखेंगे |
५. वह प्रदेश /संभाग / जिला तहसील एवं ब्लाक स्तरीय समितियों से आय ब्याय पत्रक का तिमाही निरीक्षण कर राष्ट्रीय महासचिव (लेखा) को परिक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे | साथ ही इन समितियों से प्राप्तराशि को परिषद के खाता (बैंक) में जमा करेंगे |

National Secretary General (Project) :- According to the decision of the national general secretary (project), National president and managing committee, the government administration will prepare the framework by getting the information of the project from various departments being run by the administration and prepare the project according to the prescribed procedure after observing and inspection by the national managing committee and present the project to the duly respective department.

National Secretary General (Accounting) :- According to the order of the, national president and the decision of the national management committee, National general secretary will present the annual income and expenditure sheet in the meeting of the national managing committee. The registrar will
send information of the section 1 and 2 as per the rules of the organization. In collaboration with the national treasurer, the council will prepare a lager book. All correspondence related to the accounting will be done by the national general Secretary (Accounting).

National Secretary General (Budget):- In the meeting of general assembly of the council and the national managing committee, presenting the estimated annual budget to be spent in the various votes, according to the national executive decision and the National president, all correspondence related to pass the budget etc., will be done by the national general secretary budget.

National Spokesperson (Administration) :-According to the directions of the National president and the decision of the national managing committee, arranging a press conference in the interest of the people related to the government, firms, production and Administration, etc and issue press releases from time to time expressing administrative opinions in general meetings in the interest of every person, releasing press from time to time and expressing administrative opinion in the meetings of the executive committee and decisions will be made by the national spokesperson (Administration) for implementing them.

National Speaker (Organization) :- According to the National president and the decision of the national managing committee, giving information related to the all organizational activities in the interest of the council, expressing ideas for strengthening organization, to set forth and implement the organizations objectives, press release for related activities of the council, organizing press conference, etc will be done by the national spokesperson (organization).

National Treasurer :-

1. He will receive/send all the receipts for the amount spent and collected on the behalf of the council
2. He will demand the accounts from the state/district/block in the quarter month and after approving the national general secretary (administration), send to the national president
3. According to the decision of the national managing committee, the nationalized bank or post office will open the account of the council under the joint name of the National president/national general secretary and national treasurer in which they will approve the entire sum of the money the council
4. He will submit the quarterly income expenditure report from the state, district tehsil and block level committees to the national general secretary for the examination, in addition the amount received from these committee will be deposited in the account of the council
5. He will also see if the every division/the tehsil and block in each regional management committee have sent their scheduled annual debts to the national management committee.

६. वह यह भी देखेंगे की प्रतेयक प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति में संभाग / तहसील एवं ब्लाक ने अपना निर्धारित वार्षिक देयांश राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति को भेजा हैया नहीं |
७. वह वार्षिक आय ब्यय का विवरण सदस्यों की जानकारी के लिए प्रकाशित करायेंगे.
८. वह राष्ट्रीय महासचिव की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करेंगे |
९. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार परिषद के कार्य में हाथ बटायेंगे | परिषद को सुदृढ़ बनाने हेतु हर संभव प्रायास करेंगे

<u>राष्ट्रीय संयुक्त सचिव :-</u>

१. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सचिव के कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे |
२.वह राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के बैठक में सर्व सम्मति से लिये गए निर्णयानुसार उनको सौंप गए दायित्यों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे |

<u>राष्ट्रीय संग़ठन सचिव :-</u>

१. राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव (संग़ठन) एवं राष्ट्रीय सचिव तथा संयुक्त सचिव के कार्यो में हाथ बटायेंगे |
२. संग़ठन का प्रचार - प्रसार एवं संग़ठन हित में कार्य करेंगे |
३. वह संग़ठन को सुदृढ़ बनाने में परिषद को भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे |
४. प्रत्येक व्यक्ति के हित में संग़ठन में सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे |
५. वह प्रदेश / जिला एवं तहसील तथा ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति को पार्षद के उदेश्य के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करेंगे |

<u>राष्ट्रीय कार्यालयीन सचिव :-</u>

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार परिषद कार्यालय में प्राप्त पत्रों को आवक कर अवलोक नार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे ।
2. सरकार / शासन प्रशासन एवं संगठन से सम्बंधित प्रेषित समस्त पत्रों को निर्गर्मित करेंगे।
3. आवक - जावकपत्रोंकोअलग - अलगव्यवस्थितकरेंगे।
4. आवक एवं जावकर जिस्टर में आवक एवं जावक पत्रों का विधिवत इंद्राज करेंगे।
5. सदस्यता पंजी में संरक्षक सदस्य / आजीवन सदस्य एवं वार्षिक सदस्यों की जानकारी इंद्राज करेंगे।

<u>अकेंक्षक :-</u>

1. वह परिषद के लेखे जोखे का अकेंक्षण करेंगे और आपने प्रतिवेदन के साथ आगामी राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति एवं आमसभा में प्रस्तुत करेंगे ।वह आपने कार्य की सहायतार्थदो उपअकेंक्ष को मनोनीत कर सकेंगे।
16.2 प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति

<u>प्रदेश अध्यक्ष :-</u>

1. प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति की होनेवाली बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
2. प्रदेश में संचालित होने वाली परिषद की सदस्यता गतिबिधियों के वे उत्तरदायी होंगे।
3. वह प्रदेश हित में परिषद की उन्नति वरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहेंगे।
4. वह भारतीय नागरिको की समस्याओं के सम्बन्ध में शासन प्रशासन ज्ञापन प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान कराएंगे।

6. Description of the annual income expenses will be published by him for all the members
7. In the absence of the national general secretary, he will discharge their tasks.
8. He will cooperate in the work of the council as directed by the national president. He will strengthen the council as possible
9. He will coordinate with National President in the tasks of council. He will try his best to strengthen the council.

National Joint Secretary:-

1. He will cooperate in the functions of the national secretary as directed by the national president.
2. According to the unanimous decision taken in the meeting of the national managing committee, he will discharge his obligations with complete loyalty and honesty.

National Organization Secretary :-

1. As per the directions of the National president, the national general secretary will cooperate in the work of the national secretary and the joint secretary
2. Promoting organization and will work in the interest of organization
3. He will provide complete support to the council in strengthening it
4. He will work to add active members in the organization in the interest of each person
5. He will encourage the state, district, tehsil and block management committee to work according to the councilor.

National Office Secretary:-

1. As per the directions of the National president , the council will present the letters received at the office and submit them to the National president for observation and appropriate action
2. Government and administration and all the letters posted related to the organization will be released
3. Received-sent letters will be arranged individually
4. Received and sent letters will be duly commissioned in inward and outgoing register
5. The information about the lifetime members/guardian members and annual members will be entered by him.

Auditor :-

He will audit the accounts of council and will present the report in the upcoming meeting of national management committee and general assembly. He can hire two co-auditors for his help.

16.2 Regional Executive Committee

Regional President:-

1. Regional president will preside over the meetings of the region managerial committee

2. He will be answerable for all the activities regarding to membership of the council running in that region

3. He will look forward to the advancement and protection of the council in the interest of the region

4. He will present the governance memorandum regarding the problem of Indian citizens and help solving them

5. वह प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत संभाग /जिला /तहसील / ब्लाक स्तरीय प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी का समय पर निवार्चन /मनोनयन कराएंगे और उसे निरंतर सक्रिय बनाये रखने के लिए उनके कार्यो की समीक्षा कर प्रगति प्रति वेदन राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति को भेजेंगे।

6. वह प्रदेश महासचिव से प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के होने वाली बैठकों का आयोजन एवं संचालन कराएंगे |

7. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के निर्देशनुसार कार्य करेंगे |

<u>प्रदेश उपाध्यक्ष</u> :-

1. वह प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका स्थानापन्न करेंगे ।
2. वह प्रदेश अध्यक्ष के परमर्शनुसार उनके कार्य में हाथ बटायंगे ।
3. वह प्रभार वाले संभाग /जिला /तहसील/एवं ब्लाक स्तर की प्रबंधकारिणी समितियों के निवार्चन /मनोनयन समय पर कराने और निरंतरस क्रिय रखने के लिए उत्तदायी होंगे ।
4. प्रदेश अध्यक्ष द्धारा सौपें गए दायित्वों का निवर्हन करेंगे।

<u>प्रदेश महासचिव (प्रशासन)</u> :-

1. वह प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार प्रशासन से सम्बंधित समस्त पत्राचार करेंगे ।
2. वह प्रदेश स्तर पर प्रशासन को चुस्त एवं दुरुस्त रखने में प्रवृत रहेंगे ।
3. वह परिषद की प्रशासनिक गतिबिधियों के सम्बन्ध में संभाग / जिला /तहसील /एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों को दिशानिर्देश जारी करेंगे ।

<u>प्रदेश महासचिव (संगठन) :-</u>

1. वह प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार संगठन से सम्बंधित समस्त पत्राचार करेंगे ।
2. वह प्रदेश स्तर पर संगठन को सुदृड एवं सक्रिय रखने ने प्रवृत रहेंगे ।
3. वह परिषद की संगठनात्मक गतिबिधियों के सम्बंध में संभाग / जिला /तहसील / एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों को समय – समय दिशा निर्देश जारी करेगा।

<u>प्रदेश प्रवक्ता :-</u>वह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशसानुसार एवं प्रदेश प्रबंधकारिणी के निर्णयानुसार परिषद की कार्यप्रणाली के सम्बंध में उसके उद्देस्य के सम्बंध में एवं आम बिचार के हित में प्रेस बिज्ञप्ति जारी करेगा तथा समय – समय पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर सकेंगे ।

१. प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश स्तर पर परिषद का खाता प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव (प्रशासन) एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से बैंक या पोस्टऑफिस में खोला जायेगा । जिसमे वह उस प्रदेश का देयांश प्राप्त कर रसीद देगा एवं राशि नियत बैंक में जमाकरे गात था ब्यय की गई राशि तथा रसीद प्राप्त करेगा।

२. वह संभाग / तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों से आय –ब्यय लेख प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर वार्षिक आय – ब्यय पत्रक तैयार करेगा जिसें राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करेगा |

<u>प्रदेश सचिव</u>

1. वह प्रदेश महासचिव की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहनकरेगा।
2. वह प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के निर्णय अनुसार संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु दृढसंकल्प रहेगा |
3. वह प्रदेश अध्यक्ष द्धारा सौंपे गए दायित्यों का निर्वहनकरेगा ।

5. He will make timely elections for the officers of the division, district, tehsil and block level management committee under the state management committee and keep them active continuously and their review report will be sent to the national management committee.
6. He will make general secretary organize and conduct the meetings of region management committee.
7. He will act as per the directions of the National president and the national managerial committee.

REGION VICE PRESIDENT :-

1. He will work in the absence of the region president.
2. He will support the regional president in his work.
3. He will be responsible for the election/ nomination of division of charge/ tehsil/block level and of the of district on time.
4. He will fulfill the responsibilities assigned by the region president.

Region General Secretary (Administration) :-

1. All the correspondence related to the administration will be done by him according to the decision of the regional president and the region management committee.
2. He will be responsible to keep the administration active at the region level.
3. He will issue guidelines to the district, tehsil and block committees regarding the administrative activities of the council.

Region General Secretary (Organization) :-

1. All the correspondence related to the administration will be done by him according to the decision of the regional president and the region management committee
2. He will be responsible to keep the organization strong and active at the region level
3. He will issue guidelines to the district, tehsil and block committees regarding the organization activities of the council.

State Speaker:-

According to the directions of the state president and the decision of the state executive, the press release will be issued in relation to its purpose regarding the functioning of the council and in the interest of common considerations and will organize press briefings from time to time.

1. At the state level, the account of the council will be opened in the bank or post office with the joint name of the state president, state general secretary and state treasurer in which he will receive the amount of that state and give the receipt and deposit the amount in the fixed bank and receive the amount and receipt given.
2. He will receive income expenditure articles from division, tehsil and block managing committees and prepare annual income expenditure sheet at the state level which will be submitted to the national management committee.

Regional Secretary:-

1. He will discharge his duty in the absence of the general secretary.
2. He will vow to strengthen the organization according to the decision of the regional president and the regional management committee.
3. He will discharge the responsibilities given by the regional president.

प्रदेश संयुक्त सचिव :-

1. वह प्रदेश सचिव की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करेगा ।
2. वह प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति द्धारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार सौपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा।
3. वह प्रदेश अध्यक्ष के परमार्शानुसार परिषद का कार्य करेगा।

प्रदेश संगठन सचिव :-

1. वह संगठन में अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति को जोड़ेगा।
2. वह प्रदेश / संभाग /जिला / तहसील / एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों को सक्रिय कर संगठित रहने हेतु प्रचार - प्रसार करेगा।
3. वह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु हर संभव प्रयाश करेगा ।

प्रदेश बिधि सचिव :- प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति के निर्णय अनुसार बिधि से सम्बंधित पत्राचार बिधि सचिव द्धारा किया जायेगा।

प्रदेश कार्यालयीन सचिव :-

1. वह प्रदेश अधयक्ष के निर्देशानुसार कार्यालय का संचालन करेगा |
2. वह प्रदेश कार्यालय में प्राप्त समस्त पत्रों को आवक कर प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा निराकृत पत्रो को निर्गमित करेगा।
3. वह प्रदेश कार्यालय का रिकॉर्ड (सदस्यता पंजी,आवक जाबक पंजी एवं फाइल) आदि को ब्यवस्थित रखेगा संभागीय प्रबंधकारिणी |

समिति :-

16.3 जिला / तहसील / ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति :-

1. वह अपनी प्रबंधकारिणी समिति की होने वाली बैठको की अध्यक्षता करेगा।
2. वह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशनुसार एवं संभाग अध्यक्ष व प्रबंधकारिणी समिति के निर्देशानुसार जिला /तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों का समय पर निर्वाचन /मनोनयन करायेगा ।
3. वह आपने जिला / तहसील / ब्लाक में होने वाली परिषद के समस्त गतिबिधियों का उत्तरदायी होगा।
4. वह प्रबंधकारिणी समिति में पदाधिकारी के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रत्येक छमाह में समीक्षा बैठक आयोजित करेगा एवं प्रगति प्रतिवेदन ब्लाक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष को तहसील अध्यक्ष जिला अध्यक्षको एवं जिलाअध्यक्ष संभाग अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा |

उपाध्यक्ष :-

1. वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करेगा |
2. वह अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार सौपे कार्य का निर्वहन करेगा |

सचिव :-

1. वह अध्यक्ष के परमर्शनुसार प्रबंधकारिणी समिति की होनेवाली बैठकों का आयोजन एवं संचालन करेगा |

Regional Joint Secretary :-

1. He will discharge his duty in the absence of the Regional Secretary.
2. He will discharge the responsibilities handed over in accordance with the decision taken by the and regional president and Regional committee.
3. He will serve the council according to the consultance of the state president.

Regional Organization Secretary :-

1. He will connect the most qualified persons in the organization.
2. He will propagate the Region, Division, State and block management committees to be active and organized.
3. He will make every effort to strengthen the organization at the state level as per the directions of the state president.

Regional Law Secretary :- According to the decision of the state president and the regional management committee, the correspondence on the law will be done by the secretary.

Regional Officer Secretary:-

1. He will be presiding the office according to the direction of the state president.
2. He will submit all the letters received in the region office to the state president and will issue unsubstantiated letters.
3. He will keep the records of the state office in the register (membership register, registers and files of incoming and outgoing etc.)

Committee:-

16.3 District/Tehsil/Block Managing committee:-

1. He will preside over the meetings of his executive committee.
2. As per the direction of the state president and the divisional chairman and managing committee, he will take care of election/nomination of the officers at district, tehsil and block level.
3. He will be responsible for all activities of the council in his District, Tehsil and Block.
4. He will hold a review meeting every six months in relation to the functioning of the officers in the executive committee and progress report will be presented to the chairman, Tehsil President, District President, Divisional President.

Vice President:-

1. He will discharge his work in the absence of the president.
2. He will discharge the work according to the decision of the chairman and managing committee.

Secretary:-

1. According to the order of the president, he will organize and conduct meetings of the committee of the executive committee.

2. वह अपनी प्रबंधकारिणी समिति से सम्बंधित समस्त पत्राचार करेगा एवं सुचारू रूप से परिषद के कार्य का सम्पादित करेगा कोषाध्यक्ष |
3. वह आपने जिला / तहसील /ब्लाक का देयांश प्राप्त कर रसीद देगा एवं राशि निर्धारित की गई नियत बैंक में जमाकरायेगा तथा ब्यय राशि का रसीद प्राप्त करेगा |
4. वह आपने जिला / तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों के आय ब्यय का हिसाब किताब रखे गाए वं वार्षिक लेखा तैयार करेगा |

संयुक्त सचिव :-

1. वह सचिव की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करेगा |
2. वह अध्यक्ष के परामर्श अनुसार एवं प्रबंधकारिणी समिति द्धारा लिये गए निर्णय अनुसार सौपे गए दायित्यों का निर्वहन करेगा |

संगठन सचिव :-

1. वह संगठन में योग्य ब्यक्तियों को जोड़ेगा |
2. वह अपने जिला / तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समिति को सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु प्रचार प्रसार करेगा |
3. वह अध्यक्ष के निर्देशानुसार संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु हरसंभव प्रयास करेगा |

कार्यकारिणी सदस्य :-

1. वह संगठन हित में परिषद के सदस्य को एकता के सूत्रबांध कर कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा परिषद की सम्पति |
2. परिषद की समस्त आय उसके धरा ४ में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति पर ब्यय की जाएगी | तथा परिषद की आम सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक व्यवस्था पर उपभोक्ताओं के जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन पर, उपभोक्ता नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन पर, उपभोक्ता कार्यशाला आयोजन पर एवं उपभोक्ताओं के हित में किये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर राशि व्यय की जा सकेगी, उसका कोई भी भाग लाभांश के रूप में इस के सदस्यों में विपरीत नहीं किया जावेगा |
3. परिषद की सदस्यता फार्म एवं रसीद बुक प्रदेश अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति से प्राप्त करेगा तथा संभाग/ जिला/ तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियां प्रदेश से प्राप्त करेंगी | प्रदेश अध्यक्षको अपने प्रदेश/ जिला/ संभाग/ तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों से प्राप्त सदस्यता राशि का ५० प्रतिशत धन राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति को देयांश के रूप में भेजना होगा |
4. संरक्षक सदस्यता शुल्क की सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति को भेजना होगा |
5. प्रदेश प्रबंधकारिणी समिति एवं संभाग व जिला संभाग तथा तहसील एवं ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियों शेष ५० प्रतिशत राशि व्यय कर सकेगी जिसका निर्धारण राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में किया जायेगा |
6. परिषद अपने सामान्य एवं विशिष्ट व्ययों की पूर्ति हेतु सदस्यों से दान संग्रह भी कर सकेगा |
7. प्रदेश/ जिला एवं तहसील तथा ब्लाक प्रबंधकारिणी समितियॉ राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति द्धारा प्रकाशित रसीद बुक ही प्रयोग में लायेंगा |
8. अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर परिषद का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने पास रु. ५०००० /- एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष रु. २५००० /- तथा जिला/ तहसील का कोषाध्यक्ष रु. ५००० व ब्लाक कोषाध्यक्ष रु. २००० से अधिक नकद रूप में नहीं रखेगा |
9. परिषद के कार्यो को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु निम्नाकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थायी अग्रिम कोष जमा होने पर स्वीकृत कियाजायेगा | जिसका समायोजन वह आवश्कतानुसार नियमित रूप से करते रहेंगे |

2 He will make all correspondence related to executive committee and edit the work of the council treasurer.

3 He will give the receipt by receiving the payable amount from his district, tehsil and block and he will deposit the amount in bank and accept the receipt of expenditure amount.

4 He will keep accounts of income and expenditure of district/tehsil and block executive committees and prepare annual accounts.

Joint Secretary:-

1. He will discharge his duty in the absence of secretary.

2. He will discharge the responsibilities handed over in accordance with the order of the president and the decisions taken by the executive committee.

Organization Secretary:-

1. He will connect the qualified persons in the organization.

2. He will propagate his district, tehsil, and block executive committee to work actively.

3. As per the president's directives, he will make every effort to make the organization strong.

Executive Member:-

1. He will motivate the members of the council to work in the interest of the organization by formulating unity.

2. All the income of the council will be spent on the fulfillment of the objectives described in SECTION 4 and on the convening of the general meeting of the council and the management committee, on the arrangement of consumer awareness programs, on consumer street plays, on the arrangement of consumer workshop, on other programs organized in the interest of consumers none of the part shall be treated as dividend in contrast to its members.

3. The regional president will get the membership form of the council and the receipt book from the state president managing committee and the district/tehsil and block management committee will get it from the state. state president has to send 50% of the membership amount received from the state, District, Division, Tehsil and block managing committees to the national managing committee.

4. The entire amount of the membership fee will be sent to the national management committee.

5. State managing committee, divisional/district and tehsil block management committees will be able to spend the remaining 50% amount whose decision will be made in the meeting of national management committee.

6. The council can also take donations from members to meet their general and specific expenses.

7. The region, District, Tehsil, and Block management committee will only use the receipt book published by the national managing committee.

8. Except in special circumstances , the council's national treasurer will not have more than Rs. 50000, state treasurer Rs. 25,000 and treasurer chairman of the district/tehsil Rs. 5000 and block treasurer Rs. 2,000 in cash with him.

9. For smooth editing of the functions of the council, the following officials will be approved for having permanent advance thesaurus in front of their name which will be adjusted regularly according to the requirement:

1.	**राष्ट्रीयसरंक्षक**	**रूपये१००००/-**
2.	**राष्ट्रीय अध्यक्ष (संयोजक/ संस्थापक)**	**रूपये१००००/-**
3.	**राष्ट्रीय उपाध्यक्ष**	**रूपये४००००/-**
4.	**राष्ट्रीयमहासचिव (प्रशासन/संगठन/विधि/लेखा/प्रोजेक्ट/बजट)**	**रूपये२५०००/-**
5.	**राष्ट्रीयप्रवक्ता (संगठन/ प्रशासन)**	**रूपये२५०००/-**
6.	**राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष**	**रूपये२५०००/**
7.	**राष्ट्रीयसचिव(राष्ट्रीय संयुक्त/संगठन/कार्यालयीन सचिव)**	**रूपये१००००/-**
8.	**राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य**	**रूपये५०००/-**
9.	**प्रदेश(संरक्षक/ अध्यक्ष /उपाध्यक्ष)**	**रूपये२१०००/-**
10.	**प्रदेशमहासचिव/प्रवक्ता (प्रशासन/संगठन/विधि/लेखा)**	**रूपये१५०००/-**
11.	**प्रदेश (कोषाध्यक्ष/ सचिव/ संगठन /संयुक्त/ कार्यालीन सचिव)**	**रूपये५०००/-**
12.	**प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य**	**रूपये२०००/-**
13.	**संभागअध्यक्ष/संरक्षक**	**रूपये११०००/-**
14.	**संभागमहासचिव (प्रशासन/संगठन/विधि/लेखा)**	**रूपये५०००/-**
15.	**जिलाअध्यक्ष /संरक्षक**	**रूपये११०००/-**
16.	**जिला उपाध्यक्ष/महासचिव**	**रूपये ५०००/-**
17.	**जिलासचिव/ संगठन /संयुक्त सचिव**	**रूपये२०००/-**
18.	**कार्यकारिणी सदस्य**	**रूपये१०००/-**

10 विशेष परिस्थिति में परिषद के विशेष प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति से किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को आवस्यक आस्थाई अग्रिम भी दिया जा सकेगा | जिसका हिसाब उसे तुरंत या ७ दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा|

11 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष / प्रदेश कोषाध्यक्ष द्धारा सभी भुगतान राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष की स्वीकृति से किया जा सकेगा

12 परिषद की प्रबंधकारिणी समितियों आपने २/३ सदस्यों के सहमति से प्रस्ताव पारित कर अतिरिक्त धन जुटाकर ऐसे ब्यय कर सकेगी जिस के लिये स्वीकृत आय ब्यय में प्रावधान नही |

<u>विशेष :-</u>

1. परिषद का ब्यवहार 1 अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा |
2. परिषद का वार्षिक आय ब्यय पत्रक 1 अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा |
3. इस परिषद की नियमावली में आवश्यक परिवर्तन यासंशोधन करने का अधिकार राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक / आम सभा में परिषद के संस्थापक सदस्यों एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी सदस्यों को होगा जिसके लिए सदन में २/३ सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी ।समय समय पर संशोधन एवं परिवर्तित नियमावली की सुचना पंजीयक को प्रेषित की जाएगी । यदि आवश्यक हुआ तो परिषद हित में परिषद की सहमति से उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

4. किसी पदाधिकारी के प्रति अविश्वाश प्रस्ताव आम सभा में उपस्थित संस्थापक सदस्यों के एवं राष्ट्रीय प्रबंधकारिणी समिति के सभा सदो के २/३ बहुमत से स्वीकृत किया जा सकेगा । ऐसी दशा में रिक्त स्तःन की पूर्ति परिषद के संस्थापक सदस्यों के द्धारा की जाएगी |

1.	National president	Rs. 100000/-
2.	National Vice President	Rs. 100000/-
3.	National Secretary General (administration/organization/Law/accounting)	Rs. 40000/-
4.	National Secretary/Organization/ Joint Secretary.	Rs. 25000/-
5.	National executive member.	Rs. 25000/-
6.	Regional President	Rs. 25000/-
7.	Regional General Secretary(administration/organization/Law/accounting)	Rs. 100000/-
8.	Regional (Secretary/organization/ Joint Secretary)	Rs. 5000/-
9.	Regional Executive members	Rs. 21000
10.	Division President	Rs. 25000/-
11.	Divisional General Secretary	Rs. 5000/-
12.	District President	Rs. 2000/
13.	District General Secretary/Guardian	Rs. 11000/-
14.	District Secretary/Organization/ Joint Secretary	Rs. 5000/
15.	Executive members /Guardian	Rs. 11000/-
16.	District Vice President/ GeneralSecretary	Rs. 5000/-
17.	District Secretary/organization/joint secretary	Rs. 2000/-
18.	Executive Members	Rs. 1000/-

10. In case of special circumstances, the approval of the temporary advance to any officer or member can also be given by National president of the council, under which it must be compulsorily presented within 10 days immediately.

11. All the payment will be made by the national treasurer / state treasurer with the approval of the National president / state president

12. The council's managing committee will pass such a proposal with the consent of two or three members and add additional money to such expenses which there is no provision approved for income –expenditure.

Special :-

1. The operation of the council will be from 1st April to 31st March.

2. The annual income expenditure of the council will be from 1st April to 31st March.

3. The right to the amendment to this council's rules will be done in the meeting of the national managers committee in the general assembly by the founding members of the council and the national executive members for which the consent of two or three members in the house will be necessary. The timely amendment and converting rules will be communicated to the registrar if necessary , the registrar will have the right to amend the registered legislation of the council in the interest of the council with the consent of each member.

4. Any non-confidence motion for any officer can be accepted by the founding members present in the general body and national managing committee by majority of the members of 2/3. In such a situation, founding members of the council can fill the vacancy.

5. राष्ट्रीय अध्यक्ष के अस्वस्थर हने पर या अन्यकारणों से परिषद को समय नहीं दिए जाने पर वह संस्थापक सदस्यों की सहमति से निर्वाचन होने तक संथापक सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य को कार्य वाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है |

6. ऐसा कोई बिषय जिस की ब्यवस्था इस नियमावली में इन्द्राजन हो संथापक सदस्य द्धारा ब्यवस्थादी जा सकेगी।

7. किसी कारण वस परिषद का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्य के ३/५ मतों से पारित हो जाता है ऐसी स्थिति में पार्षद के चल आँचल सम्पति परिषद के संस्थापक सदस्यों को सौप दी जाएगी ।उक्त समस्त कारवाही अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा सकेगी।

8. परिषद की समस्त निधि किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर जमा की जा सकेगी । धन का आहरण राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महासचिव (प्रशसन) एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव (प्रशासन) एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा |

9. आवश्यकता पड़ने पर परिषद आम विचारको के हित में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध विषयों से सम्बंधित कार्यवाही एवं पत्राचार कर सकेगा।

10. विवाद परिषद में किसी प्रकार से विवाद उत्प्पन होने पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित अनुशासन समिति को सुलझाने का अधिकार होगा इस निर्णय से पक्षोंको उनके निर्णय से भी संतोष न होतो वह विवाद सुलझाने एवं निर्णय पारित करवाने हेतु रजिस्ट्रार से विधिवत आग्रह कर सकते है उनका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओ के विवाद अथवा प्रबंधकारिणी समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा |

*** वंदेमातरम् ***

सुचना : परिषद् का मूल संविधान हिन्दी में है। यह उसका अंग्रेज़ी अनुवाद हैं। दोनों भाषाओं के अर्थ मे कोई अन्तर होने की स्थिति मे, हिन्दी मे लिखित प्रावधान ही मान्य होगा ।

5. If the National president is weak by health or the council does not have time to be convinced by the National president or for other reasons, he can nominate any qualified member from the founding members as the caretaker National president into the election by the consent of the founding members.

6. Any such subject which is not entered in this manual, will be orated by the founding member.

7. If the dissolution of the council is passed for any reason in the general assembly by 6 or 5 votes of the total members in such a situation, the councilor's movable and immovable property council will be given to the founding members. All the above said proceedings can be made under the provisions of the act

8. All the funds of the council can be deposited by opening an account at a nationalized bank or post office. The withdrawal of funds will be done by the national secretary general and national treasurer at the national level and the joint signatures of the state president or the state general secretary and the state treasurer at the state level.

9. If necessary, the council will be able to take action and correspondence related to various subjects internationally in the interest of common thinkers.

10. The discipline committee will have the right at the national level to solve any dispute arising in any way in the dispute council. And if the parties are not satisfied with this decision then they can duly solicitate the registrar to resolve the dispute and pass the judgment, the registrar will have the right to final the decision on the dispute. the registrar will have the right of final decision on the disputes of conducted executive meetings.

"VANDE MATARAM"

Note : Parishad's Constitution is originlly in HINDI. In case of any inconsistency between ENGLISH and HINDI versions, HINDI versions,shall pervail.

सदस्य का संकल्प

मै.....भारतीय प्रवासी परिषद्

परिवार की सदस्यता और उसकी अन्तभुर्त मर्यादाओ को सहर्ष अंगीकार करता/ करती हूँ | भारतीय संस्कृति के आदर्शो में मेरी अविचल आस्था है सर्वपन्थसमभाव , भारत की राष्ट्रीय एकता और विश्वबन्धुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है |

मेरा संकल्प है और में करता /करती हूँ की यथाशक्ति भारत के सर्वागीण विकास के लिए सदैव सचेत रहूँगा और भारतीय जन जीवन के उत्कर्ष में अपना विन्रम योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा / रहूंगी |

दिनांक भारत माता की जय हस्ताक्षर

दायित्व ग्रहण

मै .....भारतीय प्रवासी परिषद् का पद.....दायित्व ग्रहण करते हुए मैं गर्व का अनुभव करता \ करती हूँ , मेरी परिषद के आदर्शो ,उद्देश्यों और उनकी मर्यादाओ में मेरी दृढ़ आस्था रखता/रखती हूँ |

मै सदैव परिषद् के संविधान लगन तथा अनुशासन के साथ ,नियमो तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा , / अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए देश की अखंडता के लिए परिषद का गौरव बढाने का प्रयास करूंगा करुँगी जि/ करूँगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगाससे इसकी गरिमा कम हो ।

दिनांक भारत माता की जय हस्ताक्षर

MEMBER'S SANKALP

I.....accept with pride the membership of Bharatiya Pravasi Parishad and promise to abide by the rules and regulations as per its constitution and alsotouphold its ideals.

I have deep faith in the ideals of Bharatiya culture and tradition .I have great respect and regard for the national unity of Bharat, its secularism and universal brotherhood I solemnly promise to take active interest in the activities of Bharatiya Pravasi Parishad and through it works for the unity and progress of our nation.

I will always try to contribute for the welfare of our people in my humble way.

Date:- **Bharat Mata Ki Jai, Jai Hind**

Signature

DAYITAVAGRAHAN

I.....feel a great pride in taking over as.....of Bharatiya Pravasi Parishad.....I have firm faith in the ideals, aims and values of the Parished.While following the constitution, Rules and Directives of the parishad with fervent Loyalty, dedication and discipline, I will carry out the responsibilities in manner which will enhance the prestige and reputation of the Organisation. I will never act in a way which may undermine its dignity and honour.

Date **Bharat Mata Ki Jai, Jai Hind** **Signature**

श्री मुरारी तिवारी (S.COURT)
राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

श्री रमेश तिवारी
राष्ट्रीय संरक्षक (पूर्व आई.एस)

श्री कमांडो कमल किशोर (सांसद)
राष्ट्रीय संरक्षक

श्री लाल सिंह चौहान (कर्नल)
राष्ट्रीय संरक्षक

डॉ॰ आलोक मिश्रा (चेयरमैन BBRFI)
राष्ट्रीय संरक्षक

श्री भास्कर उपाध्याय (पूर्व आई.एस)
राष्ट्रीय संरक्षक

डॉ॰ अजय चौबे
राष्ट्रीय संरक्षक

श्री योगेश दुबे
राष्ट्रीय संरक्षक

श्री संजय तिवारी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री संजय तिवारी
राष्ट्रीय महासचिव

श्री पुष्प राज
राष्ट्रीय महासचिव

श्री सतीष दुबे
राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)

डॉ अजय चौबे
राष्ट्रीय सचिव (संगठन)

श्री आशुतोष द्विवेदी
राष्ट्रीय सचिव (संगठन)

श्रीमती रंजना त्रिपाठी
राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला)

श्री शूल पाणि सिंह
प्रदेश अध्यक्ष (झारखण्ड)

श्री नागेंदर दुबे
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

श्री हेमचन्द यादव
राष्ट्रीय सचिव (संगठन)

डॉ॰ उमेश मिश्रा
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव

श्री पंकज सिंह
राष्ट्रीय सचिव (सलाहकार)

श्रीमती अपर्णा जैन
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्रीमती ज्योत्सना दास
प्रदेश अध्यक्ष–महिला (गुजरात)

श्री अजय राय
कार्यवाहक अध्यक्ष (गुजरात प्रदेश)

डॉ॰ वासवी किड़ो
प्रदेश महासचिव (झारखण्ड)

श्री अभय सिन्हा
राष्ट्रीय सलाहकार

श्री राकेश शाही
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

शिवकुमार प्रजापती
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

डॉ॰ ओ.पी. सिन्हा
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (डॉ॰ सेल)

श्री राहुल चौबे
प्रदेश उपाध्यक्ष (उत्तर प्रदेश)

श्री अभय सिन्हा
राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार